# : पंचम् अध्याय :

# डॉ. नरेन्द्र कोहली के व्यंग्य साहित्य में राजनीतिक चेतना

**पंचम् अध्याय**

## ''डॉ. नरेन्द्र कोहली के व्यंग्य साहित्य में सांस्कृतिक चेतना ''

# अनुक्रमणिका


५.० प्रस्तावना

५.१ राजनीतिक का अर्थ क्या है?

५.२ राजनीति के विभिन्न अंग

५.३ राजनीति से संबंधित विभिन्न अंगोपर व्यंग्य

निष्कर्षः

**५.०. प्रस्तावना :**

आज जीवन के हर क्षेत्र को राजनीति ने प्रभावित किया है। राजनीतिक जीवन में यत्र–तत्र–सर्वत्र व्याप्त है। स्वातंत्र्योतर काल में राजनीति ज्यादा कलुषित हुई है। स्वातंत्र्यपूर्व काल में अंग्रेज शासन थे। राजनीति के सूत्र अंग्रेजो के हाथ में थे। अंग्रेजी सत्ता के विरोध में देशवासियों में देशभक्ति की भावना निर्माण करने में व्यंग्य का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। देशभक्ति की भावना से पारतंत्र्य की श्रृंखलाए तोड़कर हम आजाद हुए परन्तु स्वातंत्र्योत्तर काल में राजनीतिक विसंगतियाँ अत्याधिक बढ़ गयी है।

राजनीतिक लोगों ने प्रजातंत्र को भोंदुतंत्र बना दिया है। एक बोतल शराब पिलाकर या दस का नोट अदा कर सबेरे अपने पक्ष मे मतपत्र डाल दिया जाता है। राजनीतिक न्याय देवता को खरीदकर जेब में रखकर धूम रहे है। राजनेता करोंडो का घोटाला कर के खुले आम लोगों के सामने घूमते रहते है। उनके राजनेता संसद भुवन में सवाल पूछने के लिए लोगों से पैसे लेते हैं, इतनी गन्दगी राजनीति में फैली है कि, उसको नष्ट करने के लिए कई बरस लगने वाले है। राजनेता बनने के लिए कोई न योग्यता होती है, न पात्रता। कोई अगर बेकार रह जाता है, या उसे किसी तरह से अपना रोजगार जुटाने में कठिनाई लगती है, परन्तु वह भाषण देने की कला सीख जाये तो बिना किसी प्रयास के वह नेता बन जाता है। और तब वह परिवार के परवरिश की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। उसके खोकले आश्वासन जनता को प्रभावित करते लग जाते हैं। जनता को अपने वादों में फँसाकर आगे बढ़ने की कला वह सीख जाता है। धीरे–धीरे वह एक–एक सीढ़ी चढ़ने लगता है। आज राजनीति का यह स्वरूप है।

आज राजनीति क्षेत्र में भ्रष्टाचार आज कोई नया विषय नहीं है। हर नेता दूसरे नेता को भ्रष्टाचारी सिध्द करने का पूरा प्रयत्न करता है। फिर भी नेता अगर भ्रष्टाचार को छोड दे तो फिर वह नेता ही न रहे वह कोई साधू संत हो जायेगा। आज धार्मिक भेदभाव बढ़ गये है, साम्प्रदायिक दंगे भड़क रहे है, भाई–भतीजावाद बढ़ गया है। जनसामान्य को इतनी

समस्याओं ने घेरा है कि, उसे साम्प्रदायिक दंगो, मारपीट से कोई लगाव नहीं किन्तु नेता उन्हें चुप बैठने नहीं देते। सारा प्रशासन जनतंत्र छल्–छद्म से दूषित हो गया है। सत्ताधारी मंत्री, संसद एवं विधान भवन, चुनाव, चुनाव के हथकंडे ने पूरी सीमाओं को पार कर दिया है। राजनीति में दल बदल, विपक्ष दल हास्यकोटी को पार कर चुके हैं। इसी कारण राजनीति हास्यस्पद बन गयी है। राजनीतिक विसंगतियों का परिणाम जनसामान्य को भुगतना पड़ता है। इस प्रकार राजनीति में जब विसंगतियाँ पैदा होती है तब व्यंग्य और राजनीति का संबंध गहरा बन जाता है। तब व्यंग्यकार अपनी लेखनी से राजनीति पर तीर छोड़ते है। इस प्रकार व्यंग्य और राजनीति का संबंध पानी और प्यास जैसा बन जाता है।

व्यंग्यकार ऐसी राजनीति से बहुत ही असंतुष्ट है, इसलिए अपने व्यंग्य साहित्य में 'हमरा को वोट दो' में कहते है, चाहे शासन पक्ष हो या विरोधी पक्ष हर एक को अपनी कुर्सी की चिन्ता लगी रहती है। एक बार कुर्सी हाथ आ जाये फिर वे हर कठिनाई से निश्चिंत हो जाते है। कुर्सी पर जब तक जमे रहते है, लक्ष्मीजी की कृपा दृष्टि होती है। इस सत्य का पर्दाफाश करते हुए डॉ. कोहली जी लिखते है, ''हम उनको देखने क्यों जाएँ, वो कोई हमरा वोट देता है। हम तो उसको ही देखने जाएँगे, जो हमको वोट देगा।''[१] मंत्री लोग मनुष्य को देखने नहीं जाते, वे वोट को देखने जाते है। इतना सच बोलने का साहस है किसी में?

इस प्रकार व्यंग्य और राजनीति का गहरा संबंध होता है। सारा शासन तंत्र छल्–छद्मसे दूषित हो गया है। जिससे राजनेता तथा राजनीति दोनों कभी हास्यस्पद बन जाते, कभी उनकी पोल खुलती है, लेकिन अधिकतर राजनीति विसंगतियों का परिणाम जनसामान्य को भुगतना पड़ता है।

## ५.१. राजनीति का अर्थ क्या है?

प्राचीन भारत में राजनीति सत्ता की अवधारणा की कोई सर्वसामान्य परिभाषा स्पष्ट रूप से सामने नहीं आयी है, जैसा कि, वर्तमान चिंतन में उसका प्रयाग किया जाता

है। परन्तु यह राजनीतिक चिन्तन की मौलिक समस्या है। अर्थशास्त्र में इस समस्या के समाधान के लिए अप्रत्यक्ष रूप से संकेत अवश्य किया गया है। इस शब्द को परिभाषित करने के लिए अलग–अलग दृष्टिकोन को अपनाया है। बहुत से आज के युग के विचारक शक्ति और सत्ता को एक दूसरे का पर्याय समझने की भूल कर देते है।

डॉ. शिवप्रसाद भारव्दाज शास्त्री 'मानक हिन्दी शब्द कोश' में राजनीति की परिभाषा इस प्रकार देते है, ''राज्य की वह नीति जिसके अनुसार प्रजा का शासन और पालन तथा दूसरे राज्यों से व्यवहार होता है (पॉलिटिक्स)''[२] राजनीति के अनुसार लोगों का शासन एवं पालन तथा अन्य राज्यों से व्यवहार राजनीति के अनुसार किया जाता है इसे शिवप्रसाद भारद्वाज शास्त्री ने राजनीति कहा है। प्राचीन भारत में धर्म का दृष्टिकोन बहुत व्यापक कहा है। सत्ता की उत्पत्ति कहा है। प्राचीन भारत में धर्म का दृष्टिकोन बहुत व्यापक है। सत्ता की उत्पत्ति संबंधी अध्याय में इसकी चर्चा की गई है। फिर भी इन आलोचनाओं का उत्तर हम १९६६ ई. में. प्रकाशित पी. एन. बॅनर्जी की 'पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएन्ट इण्डिया' के माध्यम से दे सकते है। जिसमें उन्होंने कहा है कि, ''प्राचीन शासन पध्दति को संवैधानिक राजतंत्र की संज्ञा दी जा सकती है, यह सचिवतंत्र था।''[३] प्राचीन भारत में जिसे राजनीति एवं राजतंत्र की संज्ञा दी जाती थी वह सिर्फ सचिवतंत्र ही था।

राजनीति एक अविरल, कालातीत सतत परिवर्तनशील और सार्वजनिक कार्यकलाप हैं। जिसकी महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति 'विषमावस्था' आ पड़ने पर उसका समाधान करने के लिए निर्णय करने में होती है। यह ''एक विशेष प्रकार की क्रिया, मानव व्यवहार के रूप में से प्रवाहित होती है।''[४]

इसका निर्देश उस निर्णय– निर्माण से है, जिसमें कुछ–ना–कुछ राजनीतिक कार्यकलाप होता है। यह दूसरी बात है कि राज्य–वैज्ञानिक 'राजनीतिक कार्य' की व्याख्या

अपने–अपने तरीके से करते है। जिससे उन्हे रूढ़िवादी, परम्परावादी अथवा आधुनिकतावादी कहा जाता है।

'राजनीति' शब्द के तीन अर्थ है – राजनीतिक कार्यकलाप, राजनीति की प्रक्रिया और राजनीतिक सत्ता। राजनीतिक कार्यकलाप के अन्तर्गत प्रयास आते है, जिनसे विरोध की स्थितियों से निर्माण और समाधान ऐसे ढंग से किया जाता है, जिससे सत्ता के लिए संघर्ष में रत लोग अपने हितों की यथासम्भव रक्षा कर सके।

'राजनीतिक प्रक्रिया' राजनीतिक गतिविधि की भावना का विस्तार है। यहाँ उन सभी अभिकरणों की भूमिका का महत्व है जिनकी निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कुछ भूमिका है। अतः राजनीति के अध्ययन को इस प्रकार व्यापक कर दिया जाता है ताकि 'राज्येत्तर अभिकरणों' को इसके अन्तर्गत लिया जाए। जिस तरीके से समूहों और संघों का परिचालन किया जाता है। उसका अध्ययन करने से हमें पता चलेगा कि वे सत्ता के लिए संघर्ष की प्रवृत्ति से मुक्त नही है। उनकी भी आंतरिक सरकारें होती है, जो उनके आंतरिक विरोधों और तनावों को निपटाती है। हमारे प्रयोजन के लिए चीज का महत्व है। वह यह है कि 'राज्येत्तर' संगठन अपने विशिष्ट हितों के प्रतिरक्षण और संवर्धन के लिए देश की सरकार को प्रभावित करते है। इस प्रकार, इन समुहों और देश की सरकार के बीच अन्तः क्रिया की अती तीव्र प्रक्रिया घटित होती है। फाइनर ने ठीक कहा है कि, अन्य समूहों से प्रतियोगिता में एक गैर–सरकारी संगठन की सफलता की आशा बहुत ही अधिक बढ़ जाती है, अगर राज्य की पूरी शक्ति सरकार के माध्यम से लागू करके उसके पीछे लगा दिया जाए। ऐसा होता है कि, यदि एक बार राज्य के ढाँचे के भीतर यह प्रतिस्पर्धा आरम्भ हो गई, जो अन्यथा एक गैरसरकारी समूह की दूसरे समूह से संघर्ष की स्थिति होनी चाहिए, तो वह अन्य समूहों के साथ सार्वजनिक प्रतियोगिता बन जाती है। इसका उद्देश या तो सरकार पर कब्जा कर अपनी नीति प्रवर्तित करना अथवा आगे बढ़कर समुच्चय को, जिनसे राज्य के भीतर रहनेवाले गैर–सरकारी संगठन, सरकार को प्रभावित करने की कोशिश करते है,

अथवा सरकार व्दारा नीति निर्माण या सरकार बनने की क्रिया में भाग लेते है, 'राजनीतिक प्रक्रिया' कहा जाता है।

राजनीति को 'वर्नोन वान डायन' ने निम्नलिखित परिभाषित किया है–

१) यह उन इच्छाओं से संचलित होती है, जिनकी कुछ सीमा लोगों में भागीदारी होती है।

२) यह एक प्रक्रिया है जो समूहों मे या उनके बीच होती रहती है।

३) इस क्रिया का एक अनिवार्य लक्षण यह है कि, अभिनेताओं का संघर्ष ध्येय इच्छाओं की पूर्ति से है।

४) जिसका ध्येय इच्छाओं की पूर्ति से है।

५) या उन लोगों के विरोध से है, जिनकी विविध इच्छाएँ होती है। अधिक संक्षिप्त रूप में, राजनीति की परिभाषा अभिनेताओं के बीच ऐसे संघर्ष से की जा सकती है जो सार्वजनिक विषयों पर विरोधी इच्छाओं को धारण करते हैं।

६) जिसका सम्बन्ध समूह नीति, संगठन, समूह नेतृत्व या अंतःसमूह सम्बधों के व्यवस्थापन से है।''[५]

राजनीति सत्ता और उसके उपयोग के बार में एक संगठित विवाद है जिसमें प्रतियोगी मूल्यों, विचारो, व्यक्तियो, हितों और माँगो के बीच पसन्द अथवा अभिमान्यता निहीत होती है। राजनीति के अध्ययन का सम्बन्ध उस तरिके के विवरण और विश्लेषण से है, जिससे सत्ता प्राप्त की जाती है। उसका उपयोग किया जाता है। जिस तरिके से निर्णय लिए जाते है, वे कारक जो निर्णयों के निर्माण को प्रभावित करते है, उसे राजनीति कहा जाता है।

## ५.२. राजनीति के विभिन्न अंग :

संसदीय प्रजातन्त्र के अन्तर्गत राजनीतिक प्रजातन्त्र, चुनाव, राजनीतिक दल, सत्ताधारी दल, विपक्षी दल, संसद भवन, प्रधानमंत्री, मंत्रालय, सचिवालय और शासन व्यवस्था आदि अंग समाविष्ट है। भारत एक प्रभुता सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। चुनाव प्रक्रिया से लोग अपना नेता चुनते है। राजनीतिक दल अपने सिध्दांतों के अनुसार शासन चलाने के लिए प्रयत्नशील होते है, अपने संयुक्त प्रयत्नों व्दारा सरकार पर भी नियंत्रण करते है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए विपक्ष दल का होना अत्यंत आवश्यक है। संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य होते है, जो देश के विकास की दिशा तय करते हैं। मंत्रालय का मुख्य कार्य राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना है। सचिवालय का मुख्य कार्य सदन की कारवाही का सही–सही रिपोर्ट तैयार, करना है। इस प्रकार भारतीय प्रजातन्त्र के अनुसार कार्य करते है। इस प्रकार भारतीय प्रजातन्त्र के अन्तर्गत राजनीति के भिन्न–भिन्न अंग हैं। डॉ. नरेन्द्र कोहजी ने इनके अन्तर्गत होनेवाली बुराइयों को व्यंग्य का लक्ष्य बनाया है। इनकी बुराइयों पर चोट करते हुए चेतानवी देने का प्रयत्न भी किया है।

### ५.२.१. राजनीतिक दल :

राजनीतिक दल प्रजातंत्र के लिए लाभप्रद हैं या हानिकारक इस विषय पर विभिन्न राजनीतिक विचारकों के विभिन्न दृष्टिकोन हैं। परन्तु इस तथ्य से सभी सहमत हैं कि आज के युग में राजनीतिक दल प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। आज के विशाल राष्ट्र में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकते, इसीलिए अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र लोकप्रिय हो रहे हैं। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र शासन के स्वरूप का चुनाव जनता व्दारा होता है। निर्वाचन को संगठित करने के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है।

### ५.२.२. प्रजातन्त्रः

भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुसत्ता सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आश्वासन दिया गया है। अभिव्यक्ति, विचार, निष्ठा, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता दी गयी है। भारत में संसदीय प्रजातन्त्र के अन्तर्गत संघ की संसद और राज्य के विधान मण्डल निर्वाचन व्दारा गठित किये जाते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है और राज्यो की कार्यपालिकाओं के प्रधान राज्यपाल होते हैं। परन्तु वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल तथा मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडलों में निहीत होती है। लोकसभा में बहुमत पार्टी का नेता प्रधानमंत्री होता है, जिसकी व्यावहारिक रूप से नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मंत्रिमंडल की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है और मंत्रिमंडल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है।

प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। संक्षेप में जनशक्ति का प्रतीक राष्ट्रपति न होकर प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है। वही सारी नीतियाँ निर्धारित करता है। और प्रशासन चलाता है। जितने भी विधेयक संसद पास करती है, उनमें से लगभग सभी सरकार व्दारा पारित किये जाते है। दिन–प्रतिदिन का प्रशासन सरकारी कार्यालयों के व्दारा चलाया जाता है। यह नीति मंत्रिमंडल व्दारा निर्धारित की जाती है। प्रशासन यद्यपि सरकारी कर्मचारी चलाते है, परन्तु उत्तरदायित्व समस्त मंत्रिमंडल का होता है। ऐसी शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री को असीम शक्तियाँ और विशेषाधिकार निहित होते है। जब तक उसकी पार्टी का संसद में बहुमत होता है, तब तक वह अपनी पार्टी का नेता होता है।

भारत में अनेक पक्षों की बहुलता है, जिससे प्रजातन्त्र है। जनता के प्रतिनिधि चुने जाने के पश्चात वे जनता को भूल जाते है। यह बहुत बडी विडम्बना ही है। गांधीजी के विचारों की अवहेलना करके मंत्री और विधायक उसी ठाठ–बाट से रहत है, जैसे अंग्रेजी

राज्य के शासक रहते थे। इन्होनें वही आचार व्यवहार और रहन–सहन के ढंग अपनाने शुरू कर दिये है। इसलिए प्रजातन्त्र में विसंगतियों ने विकृतियों ने, विषमताओं ने, अन्याय और दुर्बलताओं ने स्थान पा लिया है, जिस पर व्यंग्यकार ने व्यंग्य किया है।

### ५.२.३. विपक्ष दल :

विपक्ष दल प्रजातंत्र में विकल्पीय सरकार प्रस्तुत करते है। यह संसदीय लोकतंत्र के रथ के पहिए के भाँति है। दल उसका एक पहिया है, तो विपक्षी दल दूसरा पहिया है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए आलोचक दल का होना अत्यंत आवश्यक है। जहाँ एक दल सरकार बनाकर शासन चलाता है वहाँ विरोधी दल उसकी आलोचना करके उसे सचेत करते है। राजनीतिक दल जनता और सरकार के लिए सामन्वय स्थापित करने के लिए कड़ी का कार्य करते हैं। विपक्षी दल मनमानी पर रोक लगाकर उसे तानाशाह होने से रोकते हैं। राजनीतिक दल जनता में राजनीतिक सजगता उत्पन्न करते हैं, तथा सकरार के कार्यो एवं नीतियों की सफलता असफलताओं का लेखा–जोखा जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। संक्षेप में विपक्षी दल आधुनिक प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए अत्यावश्यक है।

प्रजातंत्र की सफलता समर्थ विपक्षी दल में होती है। चुनाव में जिस पार्टी के प्रतिनिधी कम चुनकर आते है, उसे विपक्षी दल में बैठना पड़ता है। विपक्षी दल अगर समर्थ होता है, तो सत्ताधारी पार्टी कामकाज अच्छी तरह से करती है। विपक्षी दल अगर असमर्थ होगा तो , सत्ताधारी पार्टी जो मन में आये वह निर्णय लेकर भ्रष्टाचार, भाई–भतीजावाद को बढ़ावा दे सकती है। इसलिए विपक्षी दल की प्रजातंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और आवश्यकता भी होती है।

### ५.२.४. संसद भवन या विधानभवन :

संसद भवन को विधि निर्माण का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का समावेश है। दोनों सदनों के व्दारा स्वीकृति होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति बिल के लिए आवश्यक है। लोकसभा से कम शक्तियाँ प्राप्त है कि संविधान के अनुच्छेद १०९ के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। संसदीय शासन प्रणाली का आधारभूत निगम कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व है। उनका बड़ा  उत्तरदायित्व जनता की शिकायतों को सरकार तक पहुॅचाना है और यह कार्य वह लोकसभा में करते है। विभिन्न सदस्य जिन निर्वाचन क्षेत्रों से आते है, उस क्षेत्र की शिकायतों को लोकसभा के सामने प्रस्तुत करते है, तथा सरकार उसे विकसित कर सकते है। संसद के कुछ अन्य कार्य इस प्रकार है। जो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। उपराष्ट्रपति को उस के पद से हटाने के लिए यदि राज्यसभा प्रस्ताव पास कर दे तो लोकसभा उसका अनुमोदन करती है। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर सर्वोच्च व उच्च न्यायाधीश के न्यायाधीशों के विरूध्द महाभियोग प्रस्ताव पास कर सकती है।

संसद भवन देश का सर्वोच्च अंग है। इनमें लोकसभा जनता का प्रतिनिधि सदन होने के कारण संसद का महत्वपूर्ण शक्तिशाली एवं प्रभावशाली अंग है। राज्यसभा भारतीय संसद का व्दितीय सदन है। राज्यसभा का निर्माण संघीय प्रणाली की आवश्यकता को पूर्ण करने तथा सम्मानित वाद–विवाद का अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है। संसद भवन के दोनों भी सदन महत्वपूर्ण है। जो जनता की समस्या को सुलझाने का कार्य करते है।

भारतीय गणतंत्र प्रणाली में देश की केंद्रीय सत्ता के साथ–साथ राज्यों की सत्ता को स्वीकृत किया गया है। केंद्रीय सत्ता के लिए जैसे संसद भवन है वैसे राज्यों के लिए विधान भवन है। विधान भवन की रचना में विधानसभा, विधान परिषद ये दो गृह (सदन) है

और उनके उपर राज्यपाल होता है। राज्य की सत्ता इन तीनों के नियंत्रण में चलती है। विधान सभा बैठनेवाले सदस्य सीधे जनता से चुनकर आते है तो विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से ओते है। इस सदन में जिस दल का बहुमत होता है उसकी सत्ता कार्य करती है, तो जिनका पक्ष सत्ता से दूर विपक्ष होता है  उनका नेता विरोधी पक्ष नेता बनता है। राज्य से संबंधित कानून करने का अधिकार इसी सदन का होता है परन्तु कानून तभी लागू होता है जब से दूसरे सदन की और राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होती है।

### ५.२.५. प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री :

संविधान के अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ऐसा लगता है कि, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपनी इच्छा अथवा रूचि  के अनुसार कर सकता है, लेकिन वास्तविकता इससे पूर्णतः भिन्न है। इस संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति अत्यंत सीमित है। संसदीय प्रणाली का आधार मंत्रिमण्डल का संसद के प्रति उत्तरदायित्व है। केवल वही व्यक्ति इस उत्तरदायित्व केा संभालते हुए सरकार के कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकता है, जिसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। दूसरे शब्दों में, केवल वही व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का अधिकारी हो सकता है, जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता है। अतः राष्ट्रपति इस बात के लिए मजबूर है, कि आम चुनाव के बाद जब नए मंत्रिमण्डल का गठन करता हो तो वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करे। इस पध्दति से राज्य विधान सभा में राज्यपाल व्दारा जिस पार्टी को विधानसभा में बहुमत है उसी पार्टी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जिसे राज्यपाल नियुक्त करते है।

प्रधानमंत्री बनने के पश्चात जो पहला कार्य वह है। मंत्री परिषद के सदस्यों का चयन करना। प्रधान मंत्री मंत्रिमण्डल के निर्माण, जीवन तथा मृत्यु का केन्द्र है। प्रधानमंत्री मंत्रीपरिषद की सूचि तैयार करके स्वीकृती प्रदान कर देते है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंण्डल की

अध्यक्षता करते है। मंत्रिमण्डल की बैठक बुलाते है और उनका सभापतित्व करते है। कोई भी मंत्री उसे सूचित किए बिना व्यक्तिगत रूप में कोई निर्णय नहीं ले सकता। मंत्रिमण्डल के निर्णय व नीति निर्धारण में उनका सर्वोपरि स्थान होता है। प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति को मंत्रिमण्डल के निर्णयों से परिचित करते है। प्रधानमंत्री शासन का नेता होने के अतिरिक्त बहुमत दल का नेता भी होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के नाते ही वह शासन का प्रधान हो पाते है।

जितने भी उच्चाधिकारियों की नियुक्ति संविधान के व्दारा राष्ट्रपति के व्दारा होती है, वास्तव में वे प्रधान मंत्री के व्दारा ही चुने जाते है। संविधान के अनुसार जो आपातकालीन–अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किए गए है, व्यावहारिक रूप में उन सब अधिकारों का प्रयोग  प्रधान मंत्री ही करते है। जब संकटकालीन स्थिति की घोषणा की जाए, कब तक उसको चालू रखा जाए, कब किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, यह सभी निर्णय प्रधान मंत्री करते है। इस प्रकार शासन के समस्त अधिकार वास्तविक रूप में प्रधान मंत्री को ही प्राप्त है। संक्षेप में प्रधान मंत्री का स्थान मंत्रिमण्डल में इस प्रकार का है, जिस प्रकार गगन में तारों के मध्य चंद्रमा का है। वे मंत्रिमण्डल की आधारशिला एवं मुख्य यंत्र होते है। मंत्रिमण्डल का उनके निर्णयों के अनुसार कार्य करना चाहिए नहीं तो प्रधान मंत्री उसके सदस्यों को उनके पद से हटा सकते है। कोई भी मंत्री प्रधान मंत्री के समर्थन के बिना मंत्रिमण्डल में नहीं रह सकता। प्रधान मंत्री की संवैधानिक स्थिति काफी मजबूत है। यदि उसका बहुमत चला जाता है, तो उसे पद से इस्तिफा देना पडता है।

केन्द्र सरकार के लिए जिस तरह प्रधान मंत्री की आवश्यकता है, उस तरह राज्य सरकार के लिए मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। विधानसभा में जिस दल के पास बहुमत होता है, उस दल के नेता को मुख्यमंत्री बनने का निमंत्रण राज्यपाल देते है और वे ही उस नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते है। मुख्यमंत्री अपनी इच्छा से मंत्रीमण्डल बनाता है

और उसके लिए राज्यपाल की स्वीकृति लेता है। राज्य के सभी मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करते है और निर्णय भी लेने का अधिकार मंत्रियों को नहीं होता। मुख्यमंत्री कि स्थिति भी मजबूत होती है। यदी उसका बहुमत चला गया तो उसे पद से इस्तिफा देना पडता है।

### ५.२.६. मंत्रालय :

संसदीय सरकारों में परंपरा के अनुसार मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की नियुक्ति के पश्चात् होता है। भारतीय संविधान में भी इस परंपरा का पालन करते हुए अनुच्छेद ७५ की व्यवस्था की गई है, जिसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के व्दारा होगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करेंगे।

ब्रिटेन की भाँति भारत में भी मंत्रिमण्डल का मुख्य कार्य है राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना। मंत्रिमण्डल को गृह और विदेश नीति के निर्माण का अधिकार प्राप्त है। विदेश व गृह नीति संबंधी सभी महत्वपूर्ण विधेयकों के प्रारूप तैयार करते है, तथा उन्हे संसद के समक्ष रखते है। मंत्रिमण्डल के उपर देश के शासन का उत्तरदायित्व होता है। अतः प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के कार्य को प्रस्तुत करते है, उनको केवल मंत्रिमण्डल के सदस्यों के अतिरिक्त किसी भी अन्य सदसय को लोकसभा के समक्ष वित्त विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त नाहीं है। केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार का भी मंत्रिमण्डल होता है। उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। उन्हे  भी राज्य के संबंधित निर्णय लेने के अधिकार होते है।

अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि मंत्रालय ही देश की वास्तविक कार्यपालिका है। मंत्रिमण्डल के सदस्य अपने–अपने विभागों के अध्यक्ष होते है, जो केवल मंत्रिपरिषद के सदस्य को लेकर प्रधानमंत्री एक अन्य आंतरिक मंत्रिमण्डल का निर्माण कर लेते है। इस आन्तरिक मंत्रिमण्डल में पाँच या छः प्रमुख विभागों के मंत्री होते है। इन मंत्रियों से

प्रधानमंत्री के घनिष्ठ संबंध होते है और उन पर प्रधान मंत्री अधिक विश्वास कर सकता है। इसी प्रकार राज्य के विधानसभा में मंत्रिमण्डल की नियुक्ति की जाती है।

### ५.२.७. सचिवालय :

सविचालय का मुख्य कार्य सदन की सही–सही रिपोर्ट तैयार करना व शीघ्र से शीघ्र प्रकाशित करना है। जो सदस्य जिस भाषा में भाषण दे उसकी रिपोर्ट उसी भाषा में तैयार की जाती है। सदन के लिए एजेण्डा तैयार करने और सदस्यों की सब प्रकार से सहायता करना भी सचिवालय क मुख्य कार्य है। सचिवालय के अन्य कार्यो में सदन का अधिवेशन प्रारम्भ होने की तिथि से पहले सब सदस्यों को सूचित करना पड़ता है। सदन के सदस्यों व्दारा प्रस्तुत किए जाने वाले बिलो, प्रस्तावों, संशोधनो, काम रोको प्रस्तावो, अविश्वास प्रस्तावों, विशेषाधिकारी संबंधी प्रश्नों बजेट के साथ संबंध रखने वाले प्रस्तावों और प्रश्नों को लिखित रूप में प्राप्त करना पडता है। आदि कार्य सचिवालय के है।

संक्षेप में सचिवायल सदन से संबंधित सभी प्रशासकीय कार्यो को सम्पादित करता है। वह अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समितियों तथा सदस्यों को परामर्श देता है। सचिवालय की पृथक व्यवस्था व्यवस्थापिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र बनाए रखने के लिए की गई है। केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार का भी अपना सचिवालय होता है।

### ५.२.८. शासन व्यवस्था :

केंद्रीय सरकार की भाँति राज्य प्रशासन को भी मंत्रालयों, जिन्हे राज्यों मे विभाग कहा जाता है। मुख्यमंत्री तथा प्रत्येक मंत्री एकाधिक विभागों के लिए उत्तरदायी है। राज्य की राजधानी में शासन सचिवालय स्थित होता हैं जहाँ से समस्त सरकारी नीतिगत आदेश सम्बन्धित शासन सचिव के हस्ताक्षरों से जारी होते हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शासन सचिव के हस्ताक्षरों सचिव, भारतीय प्रशासकिय सेवा व राज्य प्रशासकिय सेवा के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में काम करते है अपने–अपने अधिनस्थ विभागों की देखरेख,

नीतिगत आदेशों के कार्यान्वयन में देश तथा राज्यशासन की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाते है।

भारतीय राजनीति से संबंधित घटकों में प्रजातंत्र प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री संसदभवन और विधान मण्डल, राजनीतिक दल, विपक्षीदल तथा चुनाव यह राजनीति के भिन्न अंग है। भारतीय राजनीति और प्रशासन का ढाँचा इसीपर खड़ा है।

### ५.३. राजनीतिक से संबंधित भिन्न अंगो पर व्यंग्य :

राष्ट्रीय भावना के निर्माण के सहायक तत्व भारत में पहले से ही है। परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि, राष्ट्रीय भावना का निर्माण अंग्रेजी शासनकाल से पहले न हो सका था। अंग्रेजी युग केन्द्रीय शासन ने हमें राजसत्ता और अर्थसत्ता की एक सूत्रता दी और एक ही विदेशी जाति के व्दारा शासित होने की पीडा ने हम भारतवासियों को एक बनाया। केंद्रीय शासन से मोर्चा लेने के लिए हमने 'अखिल भारतीय काँग्रेस' जैसी संस्था को जन्म दिया और हमारे नेता सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय व्यक्तित्व से सम्पन्न हुए। वे किसी एक प्रान्त के न होकर पूरे राष्ट्र के नेता हो गये। 'गांधीजी' के व्यक्तित्व उनके राष्ट्रीय मुक्ति के महान प्रयत्नों और जेल यात्राओं ने हमें आग में तपाकर सच्चे अंर्थो में भारतीय बनाया। भारतीयों में आत्मविश्वास और साहस से विदेशी राष्ट्र की सत्ता और उसके शोषण में अनेक कारणों से हमारी राष्ट्रीय भावना को संगठित होने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके कारण भारत में राजनीतिक आन्दोलन का सूत्रपात हुआ।

राजनीतिक आरंभ से ही व्यंग्य लेखकों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती रही है। उठापटक, दाँवपेंच, पद–लोलूपता और जोड–तोड की विसंगतियाँ अधिकांश व्यंग्य लेखन का मूल आधार रही है। बालमुकुंद गुप्त का 'शिवशम्भू का चिट्ठा' से लेकर परसाई और आज के व्यंग्यकारों तक, राजनीति पर जितना लिखा है, उतना दूसरी विसंगतियों पर नहीं। यह एक तरह की आलोचना मानी जा सकती है और कहा भी जाता है, कि यह एक तरह की

आलोचना मानी जा सकती है और कहा भी जाता है कि यह सबसे आसान विषय है। पिछले दो–चार दशक से जब से देश में अखबरों के स्वरूप में बाजारी बदलाव आया है और अलपसिलसिला बढ़ता ही जा रहा है और व्यंग्य राजनीतिक टीप्पणी में बदल गया है।

राजनीतिक का अर्थ केवल छींटाकशी, कुर्सी की दौड, दलबदलू, चुनावी हथकण्डे, झूठे वादे है, राजनीतिक लोगों के जीवन को बेहत्तर बनाने और उन्नयन का एकमात्र मार्ग है। धर्म, समाज और व्यक्ति या संस्थाएँ अपने दम पर कुछ भी नही कर सकते, जब तक उन्हें काम के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं मिलेगा, राजनीतिक के माध्यम से ही वह वातावरण बनाया जा सकता हैं। अच्छे राज के लिए अच्छे नीतियों की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य यह है कि लंबे समय से राजनीति व्यक्तियों और भंगिमाओं कि गुलाम होकर रह गई है और विसंगतियों का बडा ढेर खड़ा कर दिया गया है। ज्यादात्तर व्यंग्य लेखकों ने इन्हीं विसंगतीयों से अपने लिखने के लिए विषय चुन लिए है जो खूब छप भी रहे है। अधिकांश समकालीन व्यंग्य लेखन राजनीति के नाम पर व्यक्तियों और भंगिमाओं के इर्द–गिर्द ही हो रहा है। राजनीतिक को सीमित दायरे में समेट देने से समस्याए उत्पन्न हुई है।

राजनीति में चतुर्दिक नारों की नदियाँ बहती है, वादों की नावें चलती है, जातियों के स्टीमर का भोंपू बज रहा है, अफवाहों की बयार बट रही है। अपराध की शीतलता पर्यावरण को सुधार रही है। ऐसे में व्यंग्यकार तटबन्धों पर खड़ा होकर विसंगतियों के पक्ष में कोरस नहीं गा सकता। उससे अपेक्षा की जाती है कि, विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद सडान्ध को अपनी सर्जना से यथावत प्रस्तुत कर सारे वातावरण के बदलाव की भूमिका तैयार करे। इसी कारण हिन्दी की मौजूदा व्यंग्य रचनाओं में वर्तमान व्यवस्था के विरूध्द आक्रोश दिखता है, तो कहीं परिवेश को बदलने की आकांक्षा पलती है।

राजतीति वर्तमान काल की जीवन नीति बन गई है। हिन्दी व्यंग्य साहित्य में डॉ. नरेन्द्र कोहली को अपनी दृष्टियों से देखा है, परखा है। राजनीति के अन्तर्गत निम्मलिखित बातों का अंतर्भाव होता है।

### ५.३.१. राजनैति प्रजातन्त्र :

आज राजतन्त्र या राजसत्ता खत्म हो चुकी है। उसकी जगह प्रजातन्त्र ने ले ली है। इसे हमने अपनी सुविधा के लिए अपनाया है, क्योंकि एक समय ऐसा आया, जब राजतन्त्र हमें बन्धनों में जकड़ता हुआ प्रतीत हुआ। तब हमने उसे त्याग दिया और लोगों के, लोगों व्दारा और लोगों के लिए चलाये जानेवाले प्रजातन्त्र को हमने स्वीकार किया। लेकिन यह भी एक शासन है। उसके अपने निर्णय है। उसमें भी कुछ सही, कुछ गलत है। इन सब बातों को हम राजनीति के अन्तर्गत रख सकते है। वर्तमान काल में आज सिर्फ प्रजातन्त्र का मजाक उडाया जाता है। प्रजातन्त्र के बारे में व्यंग्यकार व्यंग्य करते हुए लिखते है, ''लाल किला अभी भी लाल ही है और आलोचक का दिल अभी भी काला है। जहाँ तक सरकार का प्रश्न है, वहाँ स्थिति ऐसी है कि होने को तो प्रजातन्त्र है पर वास्तविकता है कि तन्त्र जो है वह प्रजा से अब भी अधिक शक्तिशाली है। प्रजा की हम इज्जत करते है और इसी कारण, प्रजा शब्द का प्रयोग तन्त्र से पहले किया गया है। पर सच्चाई में स्थिति वही है जो 'सीताराम' शब्द में सीता की और राधाकृष्ण में राधी की''[६] लाल और काला जोडने के लिए लाल किले का संदर्भ भले ही लिया गया हो पर आलोचक की बात हमेशा कडवी ही लगती है। इसमें वर्तमान प्रजातन्त्र का मजाक उडाया गया है। असलियत यह है कि प्रजातन्त्र सिर्फ कहने कहलाने के लिए है, पर पहले यही होता है कि 'तन्त्र' या शासन हमेशा से बड़ा रहा है। असर हमेशा उसी का रहा है, 'प्रजा' का नहीं।

सब कुछ परिवर्तित होकर भी यह परिवर्तन हमें महसूस नहीं होता इसके सम्बन्ध में व्यंग्यकार लिखते है, ''आजादी लिए पच्चीस वर्ष हो गये देश की जगह कोई लड़का होता तो अब तक उसकी शादी हो गई होती और अगर लड़की होती तो दो–चार बच्चे भी हो गए होते। मगर इस चमन की बुलबुले ऐसे इस्पात की बन है कि, बदलना जानती ही नही चमन बदल रहा है मगल बुलबुले वही है, जहाँ थी। शायद वे बदलेगी भी नहीं। फ्रेंच दार्शनिक से पहले थी।''[७]

आजादी से पहले आजाद हिन्दुस्तान के बारें में हमारे कुछ सपने थे, आकांक्षाएँ थी। हम सोचते थे कि चारों तरफ खुशहाली छा जायेगी हर किसी की माँग पूरी हो जायेगी। लेकिन आजादी के बाद वे सपने चूर–चूर हो गये, सारी आकाक्षाएँ विफल हो गयी। जो परिवर्तन अपेक्षित था, वह नहीं हो पाया।

प्रजातन्त्र के अत्याधिक विकृत तथा घृणित रूप व्यंग्यकारोंने चित्रित किया है। प्रजातन्त्रवाद आने पर भेडियों ने सोचा कि, उनकी मौत का पैगाम आ गया है। भेड़िये के चमचे सियार ने स्थिति को बड़ी चतुराई से सम्हाला है। जब भेड़िये को जंगल में सरकार बनाने की चिन्ता सता रही थी और अपना आसन डोलता दिखने लगा तो वह बहुत अधिक परेशान हो गया। भेड़िये की परेशानी से सियार को विश्वात्मा से कनैक्शन जोड़ने के लिये प्रेरित किया। सियार को बोध प्राप्त हुआ और वह बोला, ''बस सब समझ में आ गया। मालिक अगर पंचायत में आपकी भेड़िया जाति का बहुमत हो जाये तो?''

भेड़िये को यह बात सम्भव नहीं लगी, फिर भी उसने सियार की सलाह पर चलना स्वीकार कर लिया। ''दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने साथ तीन सियारों को लेकर आया। उनमें से एक को उसने पीले रंग में रंग दिया था, दूसरे को नीले में और तिसरे को हरे में। भेड़िये ने देखा और पूछा, अरे, ये कौन है? बूढा सियार बोला, ये भी सियार है, सरकार, रंगे सियार है। आप की सेवा करेंगे आपके चुनाव का प्रचार करेंगे।''[८]

इस प्रकार पीला सियार विव्दान विचारक, कवि और लेखक बना, निला सियार नेता और पत्रकार बना तथा हरा सियार धर्मगुरू बना। परसाईजी ने प्रतीक योजना व्दारा जनता को किस प्रकार पलटा–खसोटा जाता है इसी बात पर व्यंग्य किया है।

काले धन की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए व्यंग्यात्मक रूप से उसका सरकार को कैसे फायदा होता है, इसका विवेचन किया, ''काले धन की उपयोगिता श्वेत–धन से कही ज्यादा है। इस धन के कारण विदेशों से स्मग्लींग किया हुआ सामान हमें सस्ते दामों में प्राप्त होता है, जिसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है और विदेशों की भी।

जो लोग नकली नोट छापते है, वे भी सरकार की सहाय्यता ही करते है क्योंकि, अगर वे ऐसा नहीं करते तो शायद उतने नोट सरकार को छापने पडते। काला धन सरकारों को बनता और गिराता है। प्रजातन्त्र के अन्दर प्रजा चाहे तो तन्त्र को खरीद भी सकती है। यह सुविधा एकतन्त्र में नहीं है और इसी कारण प्रोफेसर लास्की प्रजातन्त्र को श्रेष्ठ माने थे। मार्क्स के अनुसार राजनीति जो निश्तिच होती है वह अर्थशास्त्र से ही होती है। इसी कारण विधायक जो खरीदे जाते है, वे काल धन से ही खरीदे जाते है। काले धन का क्रय–विक्रय भी किया जाता है जिससे देश में न्याय की जड़े मजबुत होती है।''[९]

यहाँ राजतन्त्र अर्थात एकतन्त्र और प्रजातन्त्र में भेद बतलाते हुए प्रजातन्त्र की श्रेष्ठता को प्रतिवादीत किया गया है। साथ व्यंग्य किया गया हैं कि, प्रजातन्त्र में एक सुविधा है कि, काले धन के सहारे प्रजा को खरीदा भी जा सकता है। चुनाव आयोजन और उम्मीद्वारों की तथाकथीत दयनीयता,धूर्तता, झूठे वादे और भ्रमजाल तथा चुनाव जीने के पश्चात की स्थिति का यथार्थ चित्रण जोशीजी ने किया है। उनका लक्ष्य चुनाव की विकृति और विसंगति की ओर है, ''नगर के गुण्डे उस समय काय्रकर्ता बन गये, स्मगलरों का त्याग अति सराहनीय था। चोर हो गये थे... बागों, वनो, गृहोगलियों और चौमुहानों पर खुले आम झूठा बका जा रहा था, सत्य क्या है, असत्य क्या है इसका भेद करना गुनीजन के लिए भी कठिन था।''[१०] व्यंग्यकार ने आक्रोश युक्त स्वर से धन के समान चोट पर चोट करते है। प्रजातन्त्र के प्रति गुण्डे, कार्यकर्ता, स्मगलरों का त्याग किस प्रकार सराहनीय है इसकी और इशारा किया गया है।

व्यंग्यकार ने प्रजातन्त्र के सत्ताधारी भेड़ियें, सियार चमचे और जनता रूपी भेड़ का रूपक रचकर परोक्ष व्दारा सूक्ष्म व्यंग्य करते हुए आदर्श यथार्थ का छद्म मुखौटा उतार कर ढोंगी और धूर्त रूप को इस प्रकार प्रस्तुत किया है, ''पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों को भलाई के लिये पहला कानून यह बनाया हर भेड़िये को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम

बचा दिया जाये, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से आधी भेड़ दी जाए।''[११]

प्रजातन्त्र का चुनाव अभियान जोर–शोर से आरम्भ हो गया। बूढे सियार ने निरिह भेड़ों को समझाया कि बलवान ही उनकी रक्षा कर सकता है। अतः दो भेड़िये को ही वोट दे। भेड़े बहकावे में आ गये और भेड़िया चुनाव जीत गया। पंचायत भेड़ियों में भेड़ो की भलाई के लिये यह पहला कानून बनाया है।

आज के प्रजातन्त्र के युग में समाजवाद केवल चर्चा का विषय बनकर रह गया है। खाओ और बाँटकर खाओ, सभी स्तरों पर इस का अमल हो रहा है। सरकार की कई सारी योजनाओं को लोग बीच में ही खा जाते हैं, उन्हें जनता तक पहुँचने भी नहीं दिया जाता। इस बात पर व्यंग्यकार कहते है, ''समाजवाद की एक परिभाषा यह भी हो सकती है कि, जो खाओ, चाहे वह रोटी या रिश्वत।''[१२] यहाँ रिश्वतखोरी पर अच्छा खासा व्यंग्य किया गया है। जनता के प्रतिनिधि प्रजा के हित पर व्यक्त करते है, और व्यक्त होने में ही अपने सारे कर्तव्यों की इतिश्री मानते हैं।

व्यंग्यकार ने प्रजातन्त्र पर व्यंग्य करते हुए लिखा है कि, ''प्रजातंत्र में प्रजा के धन और धन की प्रजा को नित्य अपना बनाये रखना। मैं बहरा हूँ और तुम गूँगे, इसलिए आओ हम आपस में मिले और प्रजातंत्र को सफल बनाएँ।''[१३]

प्रजातंत्र आखिर एक तन्त्र ही है। विश्व बंधुता और सारे मनुष्य एक समान जैसे नारे तो बड़े लुभावने हैं परन्तु दूर के ढोल की तरह। पर प्रत्यक्ष? लेकिन ऐसा होने से प्रजातन्त्र कभी सफल नहीं हो सकता। व्यंग्यकार इसी बात की चेतावनी देना चाहते है।

### ५.३.२. चुनाव एवं चुनावी हथकंडे :

चुनाव की घोषणा होते ही नेताओं तथा कार्यकर्ताओं की भुजाएँ फड़कने लगती है। किस क्षेत्र में कौनसा उम्मीदवार हो इसकी गोटी फिट की जाती है। चुनाव क्षेत्र में किस

जाति के वोट ज्यादा है इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है। किस क्षेत्र में कौन सा उम्मीदवार हो इसकी गोटी फिट की जाती है। चुनाव क्षेत्र में किस जाति के वोट ज्यादा हैं इस कुम्हारो और नाइयों के बोट पक्के हैं, कुछ रूपया खर्च होगा। मुसलमानों की वोटें सदा काँग्रेस को जाती हैं। कायस्थ वोटें नहीं मिलेगी।''[१४] इस प्रकार आज की राजनीति जाति व्यवस्था पर चलती है। इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

'चुनाव' में इमानदारी से बेईमानी मूल्यहीनता, स्वार्थ आदि को निभाया जाता है। आज कल वोटों के भी ठेकेदार निर्माण हो गये हैं। चुनाव के वक्त वोटों का ठेका लिया जाता है। गणतंत्र प्रणाली में चुनाव सबसे अहम बात है। भारतीय ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक हर तरह के चुनाव होते है। चुनावों की प्रक्रिया चलाने के लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया है। उसका प्रमुख व्यक्ति चुनाव का नियोजन करता है। भारत जैसे विशाल राष्ट्र का नियोजन करता है। भारत जैसे विशाल राष्ट्र में ही रहता है। वोटों की ठेकेदारी के संदर्भ में व्यंग्यकार ने मार्मिक चोट करते हुए लिखते है, ''इनमें से एक तो ठेकेदार था जो चुनावों के अवसर पर एक निश्चित संख्या तक मत डलवाने का ठेका लिया करता था। आदमी ईमानदार था, ठेका मिलने के बाद वह वोट जरूर डलवाता था, उसके लिए उसे शराब और चाकू का सहारा क्यों न लेना पडे।''[१५] इस प्रकार लोगों को डराकर भी वोट पाए जाते है।

''राजनीतिज्ञों के लिये 'पेशेवर' यह विशेषण आज कितना सही लगता है, आज हर नेता कुर्सी पाने या उससे चिपके रहने की, उसपर जमकर बैठने की कोशिश में लगा हुआ है। इसी तीव्र इच्छा के कारण ही कुर्सी के छिने जाने पर उसके दुःख का पार नहीं रहता। ऐसे नेताओं के लिये चुनाव का कितना महत्व होता है देखिये, ''सचमुच का भूत जिस पर सवार हो जाता है, वह आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। उन्हे तो सपनों मे भी विधानसभा का भवन नजर आता है, तो कभी विधायकों को दिए जानेवाले फ्लॅट्स तथा अन्य सुविधाएँ

नजर आती है।''[१६] इस प्रकार आरामदायी जीवन आज नेता लोगों का धंदा हो गया है। इसकी तलाश में वे हमेशा रहते है।

बड़े होने का दिखावा करने की प्रवृत्ति राजनेताओं में अधिक दिखायी देती हैं। वे एक तो आम आदमी से मिलने से कतराते हैं और अगर मिलने जाते भी है, तो अपने स्वागत के लिये भीड़ इकट्ठी करवाते हैं। नेता लोग अपने स्वार्थ के लिए –चुनाव के समय सभी हथकंडे अपनाते हैं, इस के बारे में व्यंग्यकार जी कहते है, ''राम ने फौरन उसे उठाया और गले से लगाया। केवल निम्न जाति का था, राम को उससे वोट नहीं चाहिए थे, फिर भी उसे गले लगाया अपने व्यक्तित्व की महिमा के विज्ञापन का हेतु भी इस प्रसंग के पीछे नहीं था, क्योंकि साथ में वे कोई फोटोग्राफर नहीं ले चले थे यह भी नहीं दिखाना था कि पिछड़ी जाति के लोग और तादाद इनकी ही ज्यादा होती है, देखो मुझे कितना चाहते है।''[१७] इस सन्दर्भ में व्यंग्यकार ने भी व्यंग्य किया है, ''रकम काटने वाले काट रहे हैं, पर्चियाँ काटने वाले पर्चियाँ काट रहे हैं। नोटों की ताल पर वोट नाच रहे हैं। अहा सखी, आँखें जुड़ी गयी, कैसी नरनागर बेला है, मोटरों की फेरी की वोटरो की हेराफेरी की।''[१८] इस प्रकार आज चुनाव क्षेत्र में पैसा लगाए बिना जीत नहीं होती।

चुनाव में लिये जानेवाले चिन्ह भी मजेदार और मार्मिक होते हैं। किसी एक दल का चुनाव के साथ, अफसरों के साथ होनेवाला बर्ताव भी चुनावों को सामने चिन्हा 'मुर्गा' था। इस बात को लेखर शरद जोशी जी ने व्यंग्य किया है, ''मुर्गी पीछे भागी... गाली देती रही।''[१९] इस प्रकार चुनाव में लिए जानेवाले चिह्नों पर सवाल खडा किया है।

नेताओं के व्दारा हमेशा आनेवाले चुनावो को सामने रखकर निर्णय लिये जाते है। उनका जनता के साथ, अफसरो के साथ होनेवाला बर्ताव भी चुनावो को सामने रखकर किया जाता है। इस संदर्भ में लिखते है। गृहमंत्री कहते है, ''सालो तुम्हें अक्ल नही है, सर पर चुनाव है और तुम लड़को को गिरफ्तार करते फिरते हो।''[२०] नेताओं के व्दारा कार्यकर्ता लड़कों को छूट दी जाती है।

चुनाव के दिन आते ही नेताओं की चापलूसी बढ़ जाती है। नेता चापलूसी से जनता के सामने हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं। इसके बारे में लिखा है, ''चुनाव के दिनों में ये लोग वोटरों से बोलते नही बल्कि हिनहिनाते है हे हे हे हे हम आपकी सेवा में आए हैं। हे हे हे हे हमारा चुनाव चिन्ह चुल्हा है..... हमारी लक्कड पार्टी को अपना कीमती वोट प्रदान कीजिए।'' [२१] चुनाव के वक्त नेताओं का व्यवहार एकदम अलग–सा होता है।

भारतीय गणतंत्र प्रणाली में संविधान के अनुसार ही सर्व धर्म समभाव को स्वीाकारा गया है। धार्मिक और जातिगत भेदभाव नष्ट करने की संविधान की घोषणा है परन्तु ऐसा चित्र दिखता है कि, चुनाव की नीति ने भेदभाव को मिटाने की अपेक्षा बढ़ाव दिया है। चुनाव में पक्ष की उम्मीदवारी जाति और धर्म को देखकर दी जाती है, यही प्रजातंत्र की सबसे बड़ी विडम्बना है। इस पर व्यंग्य करते हुए लिखा है, '' बन्न ब्राम्हण है और राधिका प्रसाद ब्राम्हण सभा का मन्त्री आगामी चुनाव में खड़ा होगा। उससे कहा कि यही मौका है ब्राम्हणों के वोट इकट्ठे लेने का।''[२२] इस प्रकार किसे टिकट देना है यह बात भी जाति की जनसंख्या पर तय हो जाती है।

जब देश के कोने–कोने से अलग–अलग आंदोलन शुरू किये जाते है, जुलूस निकाले जाते है, किसानों और मजदूरों की समस्या को लेकर भाषण दिये जाते है, तब यह समझना कि, चुनाव का मौसम नजदिक आ गया है आजकल सत्ताधारी भी इसमें खुशी मनाने लगे है। इस ओर 'हम बिहार से चुनाव लड़ रहे है, में लिखा है, ''चुनाव नजदिक आता हैं। इसके दो लाभ होते है, पहला तो यह कि अवसरवादी इसका लाभ उठाकर सत्ता में घुस जाते है। दूसरा सत्ताधारी वर्ग खुश हुआ कि चलो जनता का ध्यान आन्दोलन में बँट गया।''[२३] इस प्रकार अपने स्थिति के अनुरूप लोगों का इस्तेमाल किया जाता है।

चुनाव के आते ही नेता अपनी वेशभूषा में और अपनी रहन–सहन में भी परिवर्तन कर डालते है यह परिवर्तन केवल वोटों की भीख माँगने के लिए ही होता है, ''चुनाव को ध्यान में रख उसने (नेता ने) कुरतें मं सुराख कर लिये थे। और इन पर पैबन्द लगा अपनी

अजब धज बनाई थी। उस दिन तो वह बड़े जनवादी ठाठ में था। आज तो वह पैदल घूम रहा था और वोट की भीख माँग रहा था।''[२४] इस प्रकार नेताओं द्वारा दिखावा किया जाता है।

अतः स्पष्ट है कि, भारतीय चुनावों मे विकृति का आरम्भ उम्मीदवारों के चयन से ही हो जाता है। यह विकृति सभी पार्टियों में विद्यमान हैं। जातिवाद के नाम पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। आम चुनाव में प्रचार बहुत अधिक धूम–धाम से किया जाता है। इसलिए तरह–तरह के हथकण्डों और तरीकों का प्रयोग किया जाता है। चुनाव की तिथि ज्यों–ज्यों निकट आती जाती है, पार्टियों के कार्यकर्ताओं की सरगर्मी बढ़ती जाती है। जाति–धर्म और क्षेत्रीयता के नाम की दुहाई देकर वोटों की भीख माँगी जाती है। जाति, बिरादरी के प्रधानों को वोटों के हिसाब से रूपया दिया जाता है। इस प्रकार चुनाव एक खेती बन चुका है, सफल गुण्डे आज देश के नेता एवं कर्णधार बन चुके हैं। जो बाद कुछ अपेक्षा करना व्यर्थ हैं।

भारतीय चुनाव आयोग में तथा उसके नियोजन में कोई विकृति नहीं है, राजनीतिक पार्टियों में तथा चुनाव लड़नेवाले उम्मीदवारों में विकृतियाँ भरी हुई है। हर बार के चुनाव में नये हथकण्डें इस्तेमाल किये जाते हैं। चुनाव में मारपीट, अपहरण और हत्या के कुछ सच्चे और कुछ झूठे आरोप लगाये जाते हैं। कभी–कभी एक दूसरे के विरूध्द झूठे लांच्छन और आरोप भी लगाते हैं।

व्यंग्यकार ने चुनाव के हथकण्डे को बेनकाब किया है। प्रजातन्त्र और चुनावों को झूठ–फरेब, राजनीतिज्ञों के झांसे, झूठे वादे, आश्वासन और प्रतिज्ञाओं, कपटताओं पर निर्देश किया है। चुनाव के हथकण्डों में शराब पहले क्रमांक पर है। इसमें तरह–तरह की उल्टी सीधी बातें अपनायी जाती है। और कुछ भी किया जाता है। नैतिकता नाम की चीज कहीं देखने को नहीं मिलती डॉ. कोहली लिखते है, ''प्रजातंत्र का यह हाल किया कि एक बोतल शराब रात को पिलाकर सबेरे उसने अपनी पेटी में मत पत्र गिरवा लिया। न्याय को

संस्थाओं को खरीदकर जेब में  रख लिया हैं। भ्रष्टाचार पकड़ने वाले सरकारी कर्मचारी को बरखास्त कर दिया। लुटेंरो की रक्षा के लिय पुलिस तैनात कर दी और लुटने वालों को अध्यात्म सिखाने लगे। लायक को नोकरी नहीं दी और नालायक को ऊँचा पद दिया। पैसा लेकर नम्बर बढ़ा दिए। चापलूसी को श्रेष्ठ पुरूष समझकर गले से लगाया।''[२५] इस चुनावी हथकण्डे को अपनाते हुए राजनीति में चुनाव जीतकर आनेवाला नेता एक बोतल शराब रात को पिलाकर सबेरे वह अपनी पेटी में मत–पत्र गिरवाकर चुनाव जीत कर आता है। यह स्थिति आज के चुनाव व्यवस्था की एवं प्रजातंत्र की है।

भारतीय चुनावों में विकृति का आरम्भ उम्मीदवारों के चयन से ही हो जाता है। यह विकृति सभी पार्टियों में विद्यमान है। जितनी बडी पार्टी होती है उतनी ही बड़ी विकृति होती है। राष्ट्रीय हित के विरूध्द क्षेत्रीय हित, अखिल भारतीय नेताओं के विरूध्द राज्यों के नेता, पार्टी के एकता के विरूध्द दूसरा गुट, जातिवाद के जाम पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। व्यंग्यकार चुटकियाँ भरते हुए चुनाव में खडे उम्मीदवारों के गुणों का बखान करते है, ''आप काँग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं और सैंतालीस से आप काँग्रेस के साथ है.... फिर भी काँग्रेस से टिकट नहीं मिला तो जनसंघ से भी बात की जा सकती है। आशा है इस मामले में सिध्दान्त पर आपको पूरा अधिकार है कि आप असन्तुष्ट हो जाये, और तब विरोधी पार्टी आपकी भावना का मान करेगी।  इस मामले में  थोडी पॉलिटिक्स  चलनी पडेगी सो आप समर्थ है।''[२६] व्यंग्यकार  ने चुनाव –उम्मीदवारों व्दारा तरह–तरह के हथकण्डे, अनैतिक एवं भ्रष्ट आचरण अपनाने की कुप्रवृत्ति पर प्रहार किये है।

चुनाव का प्रचार बहुत अधिक धूम–धड़ाके से बढ़ता जाता है। इसके लिए तरह–तरह के हथकण्डों और तरीकों का प्रयोग किया जाता है। जलसे, सभायें, जुलूस–झाँकियाँ, सार्वजनिक स्थलों पर भाषण आम बात होती है। भाँति–भाँति के स्वांग और खेल–तमाशे भी किए जाते है। जीप और कारों से लेकर इक्के साइकिल और बैलगाडियों तक का चुनाव प्रचार में प्रयोग किया जात है।

जैसे चुनाव समीप आता है, देश में तरह–तरह के आन्दोलन खड़े होने लगते है। अवसरवादी इसका लाभ उठाकर सत्ता में घुस जाते है और सत्ताधारी यूँ खुश होते हैं कि, जनता का ध्यान आंदोलनों में बट जाता है, ''चुनाव आ रहा है तो गोरक्षा होगी ही। आप तो गोरक्षा आन्दोलन के जरिये पॉलिटिक्स में घुस ही जायेंगी।''[२७] इस प्रकार चुनावी प्रचार सभाओं में लोगों की संवेदना को पकड दिया जाता है।

चुनाव के समय किस प्रकार के चुनावी हथकण्डे अपनाये जाते है। उम्मीद्वार किस प्रकार छल–प्रपंच रचते हैं। वह जनता को ठगने और बहकाने के लिये गरीबी हटाव का नारा जोर–जोर से लगाते हैं। जनता में नोट, कम्बल, रजाइयाँ बाँटी जाती है। जनता भी चार दिन की चाँदनी को दोनों हाथों, से लूटने को तैयार रहती हैं वे क्षण भर भूल जाते है कि, बाद में उन्हीं की खाल खींची जायेंगी, उन्हीं का लहू चुँसा जाएगा। इसी प्रकार चुनाव के प्रचार में हथकण्डे अपनाये जाते हैं।

चुनाव की तिथि ज्यों–ज्यों निकट आती है, पार्टियों के कार्यकर्ताओं की सरगर्मी बढ़ती जाती है। जो बाते वे आम सभाओं में नहीं कह सकते उन्हें वह व्दार–व्दार जाकर कहते हैं। जाति–धर्म और क्षेत्रीयता के नाम की दुहाई देकर वोटों की भीख माँगी जाती है। गाँव, जाति और क्षेत्रीय नेताओं तथा मुखियों को वितरण हेतु धन दिया जाता है। कुछ लोग इसे धन्धा भी बना लेते है। जिससे सौदा पट जाए उसे ही वोट देते है। बिल्लियाँ कहती है, ''मैं सच कहती हूँ वर्माजी, अगर हमें वोट का हक मिल जाये तो इन पार्टीवालों को दातों चने चबका दे! कहें, बेटा रखो इधर कटोरा भर दूध और दस–दस चूहें नही तो अपना टस से मस नहीं होने से क्या नैतिक पतन हो गया है इन बिल्लियों का ? टूटू (कुत्ते) ने कहा।''[२८]

इस प्रकार जनता में भी एक विशेष वर्ग है जो अवसर का लाभ उठाना खूब जानता है। चुनाव ही तो ऐसा अवसर होता है जब उम्मीदवारों को इशारों पर नचाया जा सकता है। जाति–धर्म के नाम पर वोटों की माँग, चुनाव प्रचार के समय अलग–अलग बहाने बनाता,

पार्टी फंड, उम्मीदवारों का चयन क्षेत्रीय आधार एवं जाति के आधार पर तथा धर्म के आधार पर किया जाता है। ऐसे अलग–अलग चुनावी हथकण्डे इस्तेमाल में लाये जाते हैं।

### ५.३.३. सत्ताधारी गुट :

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सत्ताधरियों को एवं नेताओं को देश के विकास के बारे में सोचना था। देश को आगे बढ़ाना था। देश की प्रगति और विकास के लिए देश के नेताओं को तन–मन–धन अर्पित करना था। साधन जुटाने थे, उत्पादन बढ़ाना था, देश के धन का निःस्वार्थ भाव से सदुपयोग करना था। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, अँधरे–गर्दी, स्वार्थ लोलूपता को जड़ से मिटाना था। जनकल्याण की नीवं–सदृढ करनी थी। देश और जनता के भाग्य की विडम्बना यह बनी कि, भाग्य विधाता ही घोर भ्रष्ट हो गए। शासन प्रणाली तथा इससे सम्बधित सत्ता तंत्र में विसंगति, विकृति, विषमता, अन्याय अत्याचार, दुर्बलता का बोलबाला हुआ। डॉ. नरेन्द्र कोहली ने अपने व्यंग्य लेखन से प्रहार किए है।

व्यंग्यकार ने अपने व्यंग्य से सत्ता में आते ही देश की भोली–भोली जनता एवं कर्मचारियों की लूट–खसोट तथा स्वार्थपूर्ति को लक्ष्य बनाकर व्यंग्य करते हुए लिखा है, ''अंग्रेज छूरी काँटे से प्लेट में रखकर इंडिया को खातें रहे। देशी साहब बचे भारत को खाने लगे है। देश १९४७ में स्वतन्त्र हो गया। अहिंसक क्रान्ति कहलाई गयी। विदेशियों ने इसे ट्रान्सफर ऑफ पॉवर (सत्ता का हस्तांतरण) कहा। वास्तव में ट्रान्सफर ऑफ डिश हुआ। परोसी थाली एक के सामने से दूसरे के सामने आ गई। वे देश को पश्चिमी सभ्यता के सलाद के साथ खाते थे और देशी सत्ताधारी जन–तन्त्र के आचार के साथ खाते है।''[२९] डॉ. कोहली विकृत राजनीतिक परिवेश के प्रति अत्याधिक आक्रोश व्यक्त किया है। जिसकी खीझ और भडास को, उन्होंने व्यंग्य के माध्यम से व्यक्त किया है।

सत्ताधारी गुट के नेता, विधायक सत्ता में आते ही अफसरों को अपने हाथों की कठपुतली बना देते है। इनकी मन–मानी को अफसरों को पूरी करनी पडती है। इनके

हस्तक्षेप को मानना पडता है। अफसर की हीनावस्था को लक्ष्य बनाकर व्यंग्यकार ने 'अफसरशाही और इसके बाद' इस निबंध में व्यंग्य करते हुए लिखा है, ''आजादी के बाद तख्ता पलट गया। अफसरों की तादाद बेतहाशा बढ़ गई जहाँ पहले जिले का मालिक कलेक्टर और गाँव का पटवारी होता था वहाँ अब स्थानीय नेता और ग्राम सरपंच ने शासन अपने हाथ में लिया। आस–पास के सत्ताप्राप्त लोगों ने भी शासन की मदद दी और परिणाम यह रहा कि स्थानिय नेता और बदमाशों में जो थोडा बहुत अंतर था वह भी मिट गया।''[३०] सत्ताधारी गुट के नेता एवं विधायक के कारण प्रशासन में अफसरों की हालत किस प्रकार बन जाती है। इस पर व्यंग्यकार ने खुलकर व्यंग्य किया है।

'मुख्यमंत्री का डण्डा' नामक रचना में सत्ताधारियों के लिए उसकी सूझ–बूझ कार्यकुशलता, तत्परता, चरमसीमा पर अकर्मण्यता किस प्रकार पहुँच जाती है, उसका चित्रण किया है। एक बार मुख्यमंत्री का डण्डा चोरी हो गया। इस पर पार्टी के लोग क्या–क्या सोचते है ? ऐसा लगता है, इन लोगों को जनता के दुःख–दर्द की अपेक्षा डण्डा ही किमती लगता है। इस पर व्यंग्यकार लिखते है, ''मंत्री कि पार्टी के सक्रेटरी ने डी. एस. पी. से मिलकर एक प्लान बनाया। पार्टी के मंत्री जी ने सुझाया क्यो न अपनी ओर से एक डण्डा तैयार कर भिजवा दिया जाये? प्रश्न डण्डा खर्च का खडा हुआ तो यह तय कर लिया कि अभी अपनी जेब से खर्च किया जाय। बाद को किसी न किसी योजना में एडजस्ट कर लिया जाएगा।''[३१] इस प्रकार सत्ता में आ जाने के बाद सत्ताधारी पार्टियाँ लोगों के बारे में सोचती नहीं है। इस पर व्यंग्यकारने व्यंग्य किया है।

पार्टी कार्यकर्ता को सारे गुनाह माफ होते है, इस पर व्यंग्यकार ने सुदामा–कृष्ण के रूपक व्दारा इसी तथ्य को व्यंग्य के माध्यम से खोलने की कोशिश इस प्रकार की है, ''पार्टी कार्यकर्ता को सारे गुनाह माफ होते है। उस पर कोई चालन नहीं होता। इसी कारण समाज में गुण्डागर्दी और अंधेर नगरी फैल रहीं है। पुराना कार्यकर्ता होने की वजह से कुछ भी कार्यवाही उस पर नहीं होती।''[३२] इस प्रकार संबंध आज भी देखा जाता है।

संक्षेप में सत्ताधारी पार्टियाँ सत्ता में आते ही अपना असली रूप दिखाने लगते है। चुनाव के समय जो वादे किए थे, उसको स्वार्थ–सिध्दि में लिप्त हो जाते है। सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार, अँधेर गर्दी, धाँधली, स्वार्थ लोलूपता की भावना बढ़ जाती है। ऐसे में वे देश की जनता को एवं देश को भूल जाते है। इस प्रकार व्याप्त विसंगति, विकृति, विषमता, अन्याय, अत्याचार पर व्यंग्य के माध्यम से व्यंग्यकार सत्ताधारी पार्टियों पर व्यंग्य किया है।

### ५.३.४. संसद और विधान भवन :

संसद एवं विधान भवन प्रजातन्त्र का दर्पण होता है। उसमें नेता तथा मंत्रियों के कार्य का प्रतिबिम्ब प्राप्त होता है। लेकिन आज संसद भवन एवं विधानभवन में जो नेता चुनाव जीतकर चले जाते है। प्रजातन्त्र के साथ मजाक करते है। जनता के प्रति पाँच बरस तक नेता एवं मंत्री का कोई, लेना देना नहीं है, ऐसी हरकते इस भवनों में की जाती है। विधान भवन में समाज, राज्य तथा देश की समस्या हल होनी चाहिए लेकिन वहाँ सिर्फ भाषणबाजी ही चलती है। आज–कल तो वहाँ शोर–शराब और हंगामा ही चलता है।

जिसने भ्रष्टाचार करवाया उसके लिए उसे सुरक्षित रूप से छोड़ने के लिए जाँच समिति नियुक्त की जाती है, और भ्रष्टाचारी को इज्जत से बरी किया जाता है। विधानभवन एवं संसद में विधायक नेता, मंत्री तक बचाने का व्यवहार करते है। देखकर ऐसा लगता है कि स्कूली बच्चों जैसी हरकतें करनेवालों को विधानभवन एवं संसद में क्यों भेज दिया? क्योंकि आज के राजनेता को पात्रता की कोई जरुरत नहीं होती। जो ज्यादा रूपये चुनाव में खर्च करवायेंगे या गुंडागर्दी ज्यादा करवायेंगे वही नेता विधानभवन एवं संसद में पहूँच जाते है। और इन लोगों से अपेक्षा करना भी व्यर्थ है।

आज ऐसे दागी लोग विधानभवन एवं संसद में पहुँच जाते है। जिसने ज्यादा भ्रष्टाचार किया है, इतना ही नहीं घास खानेवाले, सिमेंट खानेवाले, तालाब, पुल गायब करनेवाले, भुकंप पीडित लोगों का राशन खानेवाले एवं पीड्तिों के लिए जमा करवाई राशी को

खानेवाले अधिक से अधिक दंगे फसाद करानेवाले लोग ही विधानभवन एवं संसद में पहुँच जाते है जैसे कोई बडा जादुगर है। इस भवनों में समस्या हल होनी चाहिए लेकिन इस में ज्यादा समय तक हंगामा, गाली गलौज विरोध के लिए विरोध के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। कोई मंत्री तो सिर्फ भवन में सोने का कार्य करते है। संसद एवं विधानभवन के कामकाज में ऐसा व्यवहार करते है देश के प्रति एवं राज्य के प्रति इन्हें कोई भी लेना देना नहीं है।

विधानभवन में नेता विधायक एवं मंत्री एक–दूसरे को बचाने व्यवहार करते है। उनमें हाथा–पायी तक नौबत आती है। इस संदर्भ में व्यंगकार कहते है। '' विधानसभा में स्थिति इतनी प्रजातांत्रिक हो गई है कि जूते–चप्पलों का आदान प्रदान होने लगा है। अंत में चलकर सभापति महोदय को आदेश जारी करना पडा कि दर्शक लोग नंगे पाँव ही विधानभवन में घुस सकेंगे, जुते पहेनकर नहीं।''[३३]

विधान भवन एवं संसद भवन में समाज, राज्य तथा देश की समस्या का हल होना चाहिए, वे लेकिन वहाँ सिर्फ भाषण बाजी चलती रहती है, व्यंगकार इस संदर्भ में लिखते है कि, ''अब बिना विचार भाषण देने को जी करता है, विधानसभा के बेहतर जगह इस के लिए क्या हो सकती है? वहाँ कुर्सिया है, माईक लगे है, जो तबियत आए बोलो जी गहरा विचार मन में उठे बाहर निकलो। न विचार आये तो भी बोलो।''[३४] इस प्रकार बोलने के लिए कोई ठोस नहीं होता फिर भी नेता बोलने का प्रयास करते है।

जाँच समिती नियुक्त की जानेवाली पध्दतिपर व्यंगकारने व्यंग्य किया है। '' मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि सुबह मैनें हजामत बनवायी, नहाया और खाकर लोकसभा में आ गया। मुँछे है या नहीं, यह भी मैं नहीं कह सकता सरकार जाँच करेगी। कारण सदन को तथ्य जानने का हक है। नन्दा तो मैं कह रहा हूँ कि एक समिती जाँच करेगी की पहले मेरी मुँछे थी या नहीं।''[३५] इस प्रकार जाँच समिती के कार्य पद्धति पर प्रश्न चिह्न खडा किया है।

संसद और विधानसभा का हाल देखकर व्यंग्यकार लिखते है, ''बैलों ने हमारे देश में बडा योगदान दिया है। अब तक की सारी सरकारों ने बैलो की जोडी के आधार पर ही

चुनाव पर ही चुनाव जीतती रही। चुनाव के अतिरिक्त वैसे भी सरकार में काफी बैल है, जो यथाशक्ती फाईलों मे खेतों को जोतते रहते है।''[३६] इस प्रकार काँग्रेस के प्रचार चिह्न पर व्यंग्य किया है।

संसद एवं विधानसभा जनतन्त्र का आधार स्तंभ होता है। यही से देश और राज्य के शासन की बागडोर चलती है। ये जनता की इच्छा आकांक्षाओं के प्रतिबिंब होते है। वह पार्टी शासन करती है। यहाँ देश और राज्य की समस्या का विचार विनिमय के माध्यम से हल निकाला जाता है। परन्तु वास्तव में यह होता है कि विधान सभाओं में अधिकांश सदस्य सोते रहते है। संसद एवं विधानसभा में जो बहस होती हे वह निरर्थक होती है। मन में आया वहीं बोला जाता है। कुछ संसद एवं विधायक सिर्फ वॉक आऊट करने के लिए वहाँ तक जाते है। इस भवन में कई बार मारपीट होती है, गाली–गलौज होती है, जुतों–चप्पलो का अदान प्रदान भी होता रहता है।

विधानभवन एवं संसद में देश को विकास एवं प्रगति के पथ पर आगे बढने के बारें में सोच–विचार करना चाहिए लेकिन इस भवन में सिर्फ खुद की समस्याओं को सुलझा जाता है। ये स्थितियाँ प्रजातन्त्र के खोखलेपन का प्रमाण है। विधानभवन एवं संसद भवन की इन विकृतियों को व्यंग्यकारने अपने व्यंग्य साहित्य में चित्रित किया है। और इस बात की चेतावनी दी है मत देनेवाला मतदाता को अब इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है।

### ५.३.५. विपक्षी दल :

प्रजातंत्र की सफलता का लेखा–जोखा विपक्षी दल द्वारा किया जाता है। यदि सशक्त विपक्षी दल न हो तो प्रजातंत्र में सत्ताधारी दल तानाशाह बन जाता है। भारतीय राजनीति में सभी पार्टीयाँ सत्ता हथियाने के दाँव–पेंच खेलती है। इसमें जो चुनाव में सबसे बडी पार्टी के रूप में उभरकर आती है, वह सत्ता संभालती है। और बाकी के पार्टीयो को विपक्ष में बैठना पडता है।

देश की राजनिती में सिर्फ सत्ता दल के नेता ही नहीं विपक्ष दल के नेता भी सम्मिलित है। एक समय था कि, भारतीय राजनीति विपक्षी नेता की भी धाक थी। परन्तु आज स्थिति ऐसी है कि नेता विपक्ष में बैठना ही नही चाहते। विधायक बनने के बाद सत्ता प्रतियोगिता में दल से सम्बन्धित श्रध्दा, स्नेह, एकनिष्ठता, ईमानदारी आदि त्यागकर दल बदल होते है। यह भी राजनीति में दिखाई देता है।

आज मूल्यों की राजनीति नहीं रही है। राजनीति में मूल्यहीनता और अस्थिरता अधिक बढ गयी है। विपक्ष दल के नेता सत्ता हथियाने के षडयंत्र करते हे। विपक्ष दल के नेताओ की इस प्रवृत्तिपर व्यंग्यकारने व्यंग्य किया है, ''हम जनता को वचन देते है कि, जिस सरकार में हम नहीं होगें उस सरकार को गिरा देगें। अगर हमारा बहुमत नहीं हुआ तो हम हर महिने जनता को नयी सरकार देगें।''[३७] इस प्रकार विपक्षी दल के नेता सत्ताधारी दल को भी काम नहीं करने देते। हमेशा सरकार गिराने के बारे में सोचा जाता है।

विपक्षी दल के नेता सत्ता हथियाने के चक्र में सत्ताधारी पक्ष पर कैसे भी आरोप लगाते है। धर्म और संस्कृति की आड में सत्ताधारियों पर आक्रमक तेवर अपनाया जाता है। इस संदर्भ में व्यंग्यकार ने प्रहार किया है, ''जनसंधी नेता कहते, भारतीय संस्कृति की हत्या हो रही है और इनमें काँग्रेसियों का हाथ है, धर्म संस्कृति, सभ्यता की रक्षा की और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।''[३८] इस प्रकार सत्ताधारी पार्टी पर मनचाहे आरोप किए जाते है।

आज की राजनीति में सिध्दांत नहीं रहे है। सत्ता प्रति के हेतु हमेशा एक दूसरे के विरोध करनेवाले विपक्षी दल के नेता एकत्र आते है। विपक्षी नेताओं के इस चेहरे को व्यंग्यकार लिखते है, ''जनसंघ और समाजवादी पार्टियो में अंतर नहीं है। वे भी विरोधी है, विरोधी – विरोधी सब एक होते है।''[३९] चुनाव के समय अपने नीति–मूल्यों को विपक्ष में बैठने का समय आता है, तो कहते है समाजवादी पार्टी और जनसंघ सभी एक है।

संसद विधान भवन को सदन में विपक्षी दल के नेता को जो भूमिका निभानी चाहिए वह नहीं निभायी जाती। किसी भी विषय पर गंभीरता से चर्चा नहीं की जाती। चर्चा चाहे किसी खून की हो या दुर्घटना ग्रस्त हो जाने की, ''विरोधी सदस्यों के सब आरोप झूठे है। हमने उस कुत्ते का पोस्टमार्टम कराया है। रासायनिक जाँच कि रिपोर्ट है, कुत्ता बस से कुचलकर नहीं मरा। पहिये पर जो खून लगा था उसक सम्बन्ध में रासायनिक का मत है कि वह कुत्ते का खून नहीं है।

एक सदस्यः तो वह किसका खून है?

मंत्री : वह आदमी का खून है?

इस पर संसद में थोडी देर भुनभुनाट होती रही।''[४०] इस प्रकार सत्ताधारीयों द्वारा सत्य छिपाने का प्रयास होता रहता है।

चर्चा में किस विषय को कितना महत्व देना है, इसकी सुझ–बूझ नेताओं को नहीं है। विरोध के लिए विरोध करनेवालों पर आघात करते हुए व्यंग्यकार लिखते है कि, ''चीध्नी हमले के पहले हमने बजट में सैनिक–खर्च का विरोध किया फिर बात पर विरोध किया कि, तैय्यारी क्यों नहीं की और अब सरकार तैयारी के लिए पैसा वसूल करती है, तो हम उसका भी विरोध करते है। सरकार मॅकमोहन रेषा को भारत कि सीमा मानती है, तो हम आगे बढकर तिब्बत तक मानते है कल अगर सरकार तिब्बत तक सीमा मानने लगे तो हम मॅकमोहन तक आ जायेंगे।''[४१] इसमें व्यंग्यकार विपक्ष दल के नेताओं पर प्रहार किया है, जो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते है।

संक्षेप में देश की राजनीतिी में सिर्फ सत्ता दल के नेता भी सम्मिलित है। देश के हित का विरोध करनेवाले विपक्ष दल के राजनीतिक लोग भी दिखायी देते है। इन बातों को लेकर व्यंग्यकार व्यंग्य के माध्यम से विपक्ष दल पर व्यंग्याघात किया है। जो भारतीय प्रजातन्त्र के लिये खेद की बात है।

### ५.३.६. नेता :

राजनीति में नेता को देश और जनता के कर्णधार कहलाते है। नेता अपनी पार्टी को एकसूत्र में बांधकर पार्टी चलाने का कार्य करता है, कार्यकर्ता कि समस्या, जनता कि समस्या सुलझाने का कार्य नेताओं का होता है। लेकिन विडम्बना यह है कि, जिस नेता की पार्टी चुनाव के समय लोगों के पाँव पकडनेवाले नेता चुनाव के पश्चात लोगों को भूल जाते है। नेता कुर्सी मिलने के पश्चात खुद की समस्या सुलझाने का कार्य करता है। ऐसे नेताओं का चरित्र हमारे सामने इस सूत्र में रखते हुए व्यंग्यकार व्यंग्य करते हुए कहते है, ''सफल गुंडे लीडर कहलाते है और असफल लीडर गुंडे कहलाते है। ''[४२]

जो राजनीति में गुंडे सफल हो जाते है वह गुंडो के नेता बन जाते है। जनता के सुख–दुःख की चिंता नहीं। वह तो इनके लिए जैसे 'कच्चा माल' है। इस व्यंग्यकार बडे सहज भाव से कहते है, '' जनता कच्चा माल है। इसे पक्का माल विधायक, मंत्री आदि बनाते है। पक्का माल पाने के लिए कच्चे माल को मिटना ही पडता है।''[४३] ये नेतागण ही सभी समस्याओं का जड है।

भारतीय नेताओं को अगर एक्सपोर्ट कर दिया जाए तो भारत की समस्त समस्याएँ एक ही दिन में हल हो जाएगी। नेताओं को कही एक्सपोर्ट कर दिया जाये तो भारत की समस्त समस्याएँ एक ही रात में सुलझ जाएगी।

नेताओं की चरित्र–भ्रष्टता अनैतिकता और स्वार्थ परकतापर व्यंग्यकार बडी मार्मिकता से कहते है, ''एक स्थानिय नेता जो भाषण कर रहे थे बडे प्रेमी पुरूष थे। लडकी को देखा तो इससे भी प्रेम हो गया। ये उनकी सातवी धर्म पत्नी थी बाकी छह पत्नियाँ अलग अलग हवेलियों में रहती थी और उनमें से प्रत्येक अलग अलग राजनीतिक दलो से सम्बधित थी। स्थिति यह भी थी कि जैसे ही कोई नया राजनीतिक दल उस क्षेत्र में जन्म लेता था, वैसे ही नेताजी एक विवाह रचा लेते थे। इस तरह से वे सच्चे जनसेवक थे पद से उन्हें कोई मोह नहीं था। चुनाव में वह हमेशा खडे रहते थे और वह भी सरकारी उम्मीदवार

के खिलाफ परन्तु उनकी आत्मत्याग की भावना इतनी अच्छी थी कि, चुनाव के एक दो दिन पहले वे हमेशा अपना नाम वापिस लेते थे। वैसा करने के लिए उन्हें या तो शराब का ठेका दिया जाता था, या जंगल काटने की इजाजत। इसके बाद वे फिर उसी उत्साह से जनसेवा में जुट जाते थे।''[४४] केवल आश्वासन देना और नारेबाजी करना यही आज के नेताओं का काम बन गया है। इस संदर्भ में व्यंग्यकार कहते है, ''नेताओं का काम आज क्या है, तो बोलते रहना। बहुत लोग उसे विचारशील मानने लगते है।''[४५] आज कल नेताओं की मानसिकता एवं प्रवृत्ति ऐसी बनी है कि, उन्हे कोई ना कोई पद चाहिए। इस संदर्भ व्यंगकार ने कहा है,'' अपनों का काम करा देना, तबादले कराना, उँची नोकरी दिलवाना, लायसेन्स दिलवाना आज के नेताओं का काम बन गया है।''[४६] इस प्रकार नेताओं की राजनीति स्वयं के हित के लिए कार्य करती है।

आज के नेता और राजनीति कार्यकर्ता जनता की नजरों में आदर, स्नेह, और आस्था के पात्र नहीं रह गए है। नेता, भ्रष्टाचार, व्याभिचार, कुकृत्य, एवं अपनी मनमानी करता रहता है। विडम्बना यह है कि, रक्षक ही भक्षक बन गया है, उसका स्वरूप विकृत हो गया है। उसका आचरण भ्रष्ट हो गया है। वह स्वार्थान्ध और लोलची हो गया है। अंधेर गर्दी धांधली और अनैतिकता ने उसे चारों ओर से ढँक लिया है, जिसके अन्दर से वह देश और जनता की पीढी को नहीं देख पाता। ऐसी विडम्बनात्मक स्थिति पायी है।

व्यंग्यकार ने इस लक्ष्यों की धूर्तता, लम्पटता, कथनी–करनी के अन्तर, आदर्श और यथार्थ के वैषम्य पर कसकर व्यंग्य किया है।

### ५.३.७. मंत्री :

संसदीय शासन प्रणाली में केंद्रीय सत्ता मंत्रिमण्डल में ही निहित होती है। जिसमें शासन की वास्तविकता निहित होती है। मंत्रिपद जिस सदस्यों को दिया जाता है वे लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होते है। किन्तु छः माह तक के लिए एक गैर सांसद भी

मंत्रिमण्डल में रह सकता है शर्त यह रहती है कि मंत्री बनने के छः माह के भीतर उसको किसी भी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है, अन्यथा वह मंत्री नहीं रह सकता मंत्री लोकसभा के समक्ष बडी महत्वपूर्ण भूमिका निभातें है, संतुष्ट रखने के साथ ही विपक्ष के सदस्यों को भी अपने कार्यो की आधार पर यथासंभव संतृष्ट रखने का प्रयास करता है। मंत्री को अपने विभागों के सम्बन्ध में पक्ष–विपक्ष क सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर भी देने होते है और उनकी माँगो को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का संतोषप्रद आधार भी प्रस्तुत करना होता है। जनता के प्रश्नों के प्रति उनको सतर्क रहना पडता है। लेकिन आज मंत्रीपद प्राप्त होते ही जनता को भूल जाना नेताओं की प्रवृत्ती बन गयी है।

जनता की सेवा करना मंत्री भूल जाते है। बिना रिश्वत लिये आज कहीं भी काम नहीं होता। यहाँ तक मंत्री पद प्राप्त हो जाने के पश्चात सिर्फ आश्वासन देना ही मंत्री का कार्य बन जाता है। मंत्री अपने पाँच बरस के कार्यकाल में सिर्फ भाषणबाजी करने में उद्घाटन करने में व्यस्त रहते है। गीता जयन्ती हो या तुलसी जयन्ती, अभिनंदन समारोह हो अथवा शोकसभा, चित्रकला प्रदर्शनी हो या आधुनिक बोध पर विचार गोष्टी, अभिन्दनीय मंत्री किसी ना किसी रूप से अवश्य स्थानापन्न हो जाते है। आकाश में ईश्वर तथा पृथ्वीपर मंत्रीजी को सर्वज्ञ माना जाता है। व्यंग्यकार अपने व्यंग्य से मंत्रीजी की अकार्यक्षमता पर भाषणबाजी प्रवृत्ति पर, भ्रष्टाचारी वृत्तिपर प्रमुख व्यंग्यकार ने अपनी रचनाओं के द्वारा तिखे प्रहार किये है।

आज रिश्वत लिए बिना आज कहीं भी काम नहीं होता है, यहाँ तक मंत्री भी बिना रिश्वत लिए काम नहीं करते, मंत्री के रिश्वत लेने के बारे में व्यंग्यकार लिखते है, ''

विरोधियों को क्या काम है? फाईले भी तो नहीं जमा कर सकते ठिक से। हम थे तो जैसा चाहते थे करवा लेते थे। रिश्तेदारों को नौकरीयाँ दिलवाते और अपनेवालों को ठेके दिलवाते। एक जमाना था अफसर खुद रिश्वत लेते थे और खा जाते थे। हमने सवाल खडा किया कि हमारा क्या होगा, पार्टी का क्या होगा ? हमने अफसरों को रिश्वत लेने से रोका

और खुद ली और काँग्रेस को चन्दा दिलवाया।''[४७] इस प्रकार पक्ष के लिए चन्दा इकट्ठा करना आज के नेताओं का काम बन गया है।

मंत्री होने की पुर्वदशा एवं मंत्री बनने के पश्चात की अवस्था का तुलानात्मक विवेचन करते हुए मंत्रीजी की रहन–सहन पर, कार्य प्रणाली पर करारा व्यंग्य किया है, ''मंत्री होने से पूर्व पत्थरों पर खर्राटे की नींद आती थी अब रेशमी रजाई का बिनौला चुभता है स्वयं को गरीबो का सेवक कट्टर अनुयायी कहते है किन्तु आपका जीवन स्तर कंचन की चोटीसे कम उँचा नही है। बिजली का मासिक व्यय हजारो रूपया बैठता है। टेलिफोन और फर्निचर का खर्च सुनकर बडे बडे रईसों को पसीना आ जाता है।''[४८]

व्यंग्यकार ने मंत्रियो के कार्यकलाप एवं राजनीतिक व्यवहार का रहस्य उद्घाटित करते हुए लिखा है, ''जब बडे बडे राज्यपाल स्थानान्तरीत हो जाते है, तब क्षुद्र साइकिल के स्थानान्तर का क्या शोक।''[४९] मंत्रीपद प्राप्त होते ही जनता को भूल जाना नेताओं की प्रवृत्ति बन गयी है।

मंत्रीपद प्राप्त होते ही वे जनता की सेवा करना भूल जाते है। इसे लेकर 'ठंड तथा रजाई' में मंत्रीजी का वास्तव कार्य प्रणाली का उद्घाटन करते हुए व्यंग्यकारने प्रहार किया है,

''किसी के पास परमिटों और लाईसेन्सो की रजाई है। सबसे बडी रजाई मंत्री–पद की होती है। किसी को रजाई मिल जाये, तो वह उससे अपना शरीर ही नहीं मुँह भी अच्छी तरीके से ढाँक कर सो जाता है। फिर उसे न किसी का रोना सुनाई पडता है, न छींकना दिखाई देता है।''[५०] इस प्रकार समय के साथ नेताओं में भी परिवर्तन आ जाता है।

भाषणबाजी, उद्घाटन, शोकसभा में मंत्री मशगुल रहते है। उनके कारोबार में अकार्यक्षमता होती है। मंत्री महोदय की मूर्खता पर व्यंग्य करते हुए लिखते है, ''एक चित्रकला प्रदर्शनी में एक मंत्री महोदय ने उद्घाटन किया था, एक चित्र की प्रशंसा के फूल बाँध दिए। उसे सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। जब बाद में पता लगा कि कार्यकर्ता भूल से वह चित्र

उल्टा टँगा हुआ था तो मंत्रीजी काटकर रह गये''[५१] इस प्रकार वास्तविकता जाने बगैर बोलना उनकी आदत बन गयी है।

संक्षेप मे मंत्री प्रजातन्त्र का महत्वपुर्ण भाग होता है। वे चुनाव के पश्चात सत्ताधारी पार्टी में रहकर संसद एवं विधानभवन में बैठकर लोगों के प्रश्न एवं समस्या सुलझा सकते है, लेकिन परिस्थिति का गांभीरता न समझकर वे भाषणबाजी करते है। मंत्री महोदय राजनीति में भी व्यापार करते है, सौदेबाजी करते है, बिना रिश्वत लिये आज कहीं भी काम नहीं होता है, यहाँ तक मंत्री बनने के पश्चात की दशा उसमें जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। मंत्री होने के पूर्व पत्थरों पर खर्राटे की नींद आती थी अब रेशमी रजाई का बिनौला चुभता है। मंत्री की कथनी और करनी की विसंगतिपूर्ण कार्यप्रणाली पर व्यंग्यकार ने व्यंग्य किया है और मंत्रियों की पोल खोल दी है।

### ५.३.८. दलबदलू प्रवृत्ति :

शासन की नीति के संबंध में मुलस्वरूप से विचार रखनेवाले कुछ व्यक्तियों के संगठन को राजनितिक दल कहा जाता है। राजनितीक दल अपने सिध्दांतो के अनुसार जहाँ शासन चलाने के लिए प्रयत्नशील होते है वहाँ दूसरी और अपने संयुक्त प्रयत्नो द्वारा सरकार पर भी नियंत्रण रखते है। राजनीति दल के लिए कुछ आधारभूत तत्वों का होना आवश्यक है, जिससे मौलिक सिध्दांतो पर एकमत संवैधानिक तरीकों का होना आवश्यक है, जिससे मौलिक सिध्दांतो पर एकमत संवैधानिक तरीकों का प्रयोग, और उद्देश्य की पूर्ति के लिए शासन की शक्तियाँ प्राप्त करने का प्रयत्न करना। आदि का प्रयोग, और उद्देश्य का प्रयत्न करना आवश्यक होता है। साधारणः कुछ व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन, जो निश्चित सिध्दांतो पर एकमत है तथा हित के लिए शासन की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए संवैधानिक तरीको से प्रयत्नशील है, उसे राजनीतिक दल कहला जाता है।

नेताओं का दलबदलू राजनीति में आम बात है। दलबदलू नीति अनेक व्यंग्य से आकर्षण का केंद्र है। एक जमाना था की नेताओं की पक्ष निष्ठा गर्व की बात थी। नेतागण उसूलों के साथ जुडे रहते थे। उसुलों से समझौता नहीं किया जाता था। परंतु आज उसूल नहीं रहे है। सुबह एक दल के साथ तो श्याम किसी दूसरे दल के साथ ऐसी स्थिति निर्माण हुई है। इसी को लेकर व्यंग्य रचना में लिखा है, '' उधर कितने लोग टूट कर इधर आ मिले, कितने एमेले जो अभी वहाँ दुर बैठे आरसीसी होकर रहे है।''[५२] इस प्रकार आज पलायनवादी नेता अपने स्वार्थ हेतु किसी भी पक्ष के साथ समझौता करते है।

अपना स्वार्थ जब तक पूरा होता है, तभी तक अपने दल के साथ निष्ठा बदली नहीं जाती है। स्वार्थ पूरा होना बंद होते ही निष्ठा बदली जाती है। और अपने पूर्व दल को छोडकर दूसरे दल के साथ रिश्ता जोडा जाता है। इस दलबदलू प्रवृत्ति पर नपे तुले शब्दो में व्यंग्य किया है, ''यदि वे मंत्री महोदय इस्तीफा देने के दबाव पर हमारे आदमी के नाम पर टेंडर मंजूर करने देते है, जो हम उनके साथ है और उनका समाजवाद का कार्यक्रम हमें निष्ठा के नाम खिसककर दूसरे गुट में चले जायेंगे'' [५३] कुछ नेता ऐसे है कि सरकार चाहे किसी भी पक्ष कि हो, उसमें उनका मंत्रीपद पक्का होता है। अर्थात उनके दलबदलू प्रवृत्ति की कोई सीमा नहीं होती। दलबदलू करनेवाले नेताओं की इस प्रवृत्ति पर व्यंगात्मक प्रहार किया है, '' मैनें तो समझ लिया कि मेरे जीवन का लक्ष्य मंत्री बनना है। इस सत्य के लिए मैनें इमान, धर्म सबका परित्याग किया सत्य के लिए बडे से बडा त्याग करना पडता है। सत्य मुझसे कभी नहीं छूटा। किसी भी पार्टी का मंत्रीमंडल बना, मै उसी का हो गया। आप मेरे आदर्श पर चले।''[५४] इस प्रकार स्वार्थ ही आज के नेताओं के लिए सर्वोपरी होता है।

दलबदलू प्रवृत्ति के कारण नेताओं मे नियतपर भरोसा नहीं किया जा सकता इस संदर्भ में लिखते है, ''विधायकों की नियत का क्या भरोसा जिस पार्टी से चुने जाते है। उसी पार्टी को छोड जाते है। सैकडो एकर भुमि होते हुए भी भूमिहीनोंमे नाम लिखा देते है।''[५५] इस प्रकार लाभ पाने के लिए वे कुछ भी करने के लिए तैयार है।

नेताओं कि दलबदलू प्रवृत्ति के कारण स्थिति ऐसी निर्माण हो गयी है, इन नेताओ को सभी प्रकार के रंगो की टोपियों का थैला अपने पास रखना पड रहा है। नेताओं के दलबदलू प्रवृत्ति पर आघात करते हुए लिखते है, ''आप हर प्रकार की टोपियों का थैला अपने पास रखीए अपने डायरी में अप टु डेट सुचना रखीए। हर एम.एल.ए. की सूची प्रतिदिन दशा नोट करीए यदि किसी जनसंबंधी न अपने को बदल लिया है, तो उस स्थान पर जिस रंग की टोपी वाला हो गया है, वैसा निशान उसी रंग को लगा दिजीए।'' [५६] इस प्रकार जातिवाद को आधार आज कि राजनीति चलती है।

संयुक्त विधायक दल तथा संयुक्त मोर्चे की सरकारों की बाढ आ गई। छोटे–छोटे मंत्रिमंडल बढते चले गये सरकारे फिर भी स्थायी न रह सकी। विधायक एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ऐसे आते–जाते रहते है जैसे रेल के डिब्बे से दूसरे में या एक वेश्यालय से दूसरे वेश्यालय में। ऐसी दलबदलूओं की मनोवृत्ति पर व्यंग्य करते हुए लिखते है, ''राजनीति के मर्दों को देखे, वे उसी के घर में बैठ जाते है, जो मंत्रिमंडल बनाने में सर्मथ हो। शादी इस पार्टी से हुई थी मगर मंत्रिमंडल दूसरी पार्टीवाला बनाने लगा तो उसी की बहु बन गये। राजनीति के मर्दो ने वेश्यालय को मात कर दिया। किसी–किसी ने तो घण्टे भर में तीन–तीन खसम बदल डाले।''[५७] इस प्रकार सत्ता प्राप्ति के लिए पक्ष त्याग करनेवाले लोगों पर व्यंग्य किया है।

अवसरानुकूल गिरगिट की भाँति रंग बदलने और सब प्रकार के भ्रष्टाचार और व्यभिचार में लिप्त किंतु उपर से सफेदपेशी का लबादा ओढे हुए एक नेता पर वृत्तांत के रूप में व्यंग्य किया है, ''आयु मे वृध्दि होने के बावजूद भी वे प्रगतिशील ही रहे। अंग्रेजी हुकूमत में वे रायबहाद्दुर बने और स्वाधीनता के पश्चात उन्होंने उसे भी राजनीतिक रूप दिया। जब देश में समाजवाद आया तो वे पंक्ति में सबसे आगे खडे हो गये। सारे समाज का धन वे अपने पास ट्रस्ट की भाँति रखते थे जो गांधीवाद के एकदम अनुकूल था। इस दिन मे गया तो वे एक नक्सलपंथी से प्रेम वार्ता में सलग्न थे। मुझसे कहने लगे कि यदि अब संपत्ती

बचानी है तो नक्सली होने के अतिरिक्त कोई राह नजर नहीं आती।''[५८] इस प्रकार राष्ट्र के खिलाफ काम करनेवालों के साथ वे हाथ मिलाते हुए नजर आते है। दलबदलू उतने अधिक चिकने घडे बन चूके है कि, कभी भी परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठा लेना उनके लिए चुटकीयों का खेल हो गया है। ऐसी विषम स्थिति पर व्यंग्यकार ने कटु व्यंग्य किया है।

भारतीय राजनीति में दलबदल की सबसे बडी विसंगति और विकृती यही रही है कि, दलबदल  न तो सिध्दांतो के आधार पर किया जाता है और न तो नीति के आधार पर। दल –बदल अवसरवादिता के आधार पर किया जाता है। यह एक संक्रमक रोग की भाँति फैल रहा है, प्रजातंत्र के लिए यह सबसे बडा संकट बन गया है। भारतीय प्रजातंत्रवाद में पार्टी व्यवस्था कुछ इस भाँति बनती है कि पार्टीयाँ सिध्दांतो और नीति पर आधारित न होकर किसी बडे नेता के इर्द–गिर्द कुकुरमुत्तों की भाँति उठ खडी होती है। यह भारतीय प्रजातंत्र के लिए बडा खतरा है।

### ५.३.९. राजनीतिक भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार शब्द को यदि परिभाषित किया जाए तो कहा जाएगा जिसका आचरण भ्रष्ट हो गया है। जिसमें सदाचरण का लोप हो गया है। भ्रष्टाचार राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, आत्मिक सब प्रकार का होता है।

स्वतंत्रता से पूर्व भी भारत में भ्रष्टाचार व्याप्त था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् वह ज्यादा बढ गया है। आज भारत के समस्त जन–जीवन को भ्रष्टाचार ने जकड लिया है। वह उसका रस चुसने लगा है।

भ्रष्टाचार का बोलबाला इतना अधिक बढ गया है कि, आज हर व्यक्ति यह सोचता है कि, बिना सिफारीश के या बिना रिश्वत दिए साधारण से साधारण काम हो ही नहीं सकता। मामला चाहे नियमित काम का ही क्यों न हो। रिश्वत देना–लेना एक आम बात बन

गयी है। नेहरूजी ने एक बार की खाई बढती जा रही है, भयंकर से भयंकर होती जा रही है, और इस खाई में देश डूबा जा रहा है।

भ्रष्टाचारी दानव के अनेक रूप है। इसकी क्षुधा सदैव ही अतृप्त रहती है। घूसखोरी, कथनी–करनी का अंतर, भाई–भतीजावाद, जातियवाद, राजकीय सुविधाओं का अनुचित प्रयोग, आर्थिक लुट आदि रूपों से वह दिखाई देता है। आज मंत्रियो, कर्मचारियों और वे सब जो प्रशासन से किसी भी प्रकार से संबंध है, भ्रष्टाचार में लिप्त है।

आज स्थिति ऐसी है कि, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार न हो। प्रभावशाली स्थान पर नियुक्त अपने प्रभाव का प्रयोग हर छोटे–बडे स्वार्थ सिध्दि में करता है। प्रतिभा एवं गुणों का विचार न करके, पार्टीबाजी के आधार पर विचार किया जाता है, इसका और भी अधिक विकृत रूप लेकर कार्य करता है।

आज भ्रष्टाचार ईश्वर का ही प्रतिरूप बन गया है। क्योंकि उसकी ही सबसे अधिक पूजा हो रही है। अर्थात ईश्वर का प्रतीक बन गया है, ''राजन, यह स्थूल नहीं सुक्ष्म है, अगोचर है। पर सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। राजा धन्य हो जाता है, कह उठता है, यह तो ईश्वर के गुण है, क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है?''[५९] इस प्रकार आज सभी स्थानोंपर भ्रष्टाचार व्याप्त है। यह बात सामने आती है। कोटा पध्दति आज सर्वत्र व्याप्त है। कोटा पध्दति के कारण भ्रष्टाचार को बढावा मिल रहा है। देवता भी वरदान देते वक्त कोटा पध्दति का इस्तेमाल करने लगे है। अर्थात इसमें भी राजनीति आ गयी है।

''देखो देवता, अपने कोटे की बात करके तुम हार नहीं सकते। मैं जानता हूँ तुम यहाँ वरदान बचाकर ले जाओगे और फिर उन बचे वरदानों को ब्लॅक में बेंच दोंगे।'' और वह माँगने पर वरदायी देवता कहते है, ''भ्रष्टाचार के केस के कारण तो वरदान देने का लाईसेन्स ही कैन्सिल हो गया।''[६०] कोहलीजी के इस वाक्य में कोटा पध्दति पर व्यंग्य है।

आजादी की घास गुलामी के घी से अच्छी होती है। जनता संघर्षरत रही है और आजादी की घास को संतोषपूर्वक चरती भी रही किंतु जनता का दुर्भाग्य यह रहा है कि, आजादी के इतने वर्ष बीत जाने पर भी जनसामान्य लोंग इससे वंचित है, ''मगर हमने देखा कि कुछ लोगों में अपनी काली–काली भैंसे आजादी की घास पर छोड दी और घास उनके पेट में जाने लगी। तब भैंसवालोंने उन्हें दुह लिया और दुध का घी बनाकर हमारे सामने ही पीने लगे।''[६१] यहाँपर आजादी के पश्चात की स्थिति पर व्यंग्य किया है।

भ्रष्टाचार कि बीमारी खत्म होने वाली नहीं है। भ्रष्टाचार जादूगार के थैली की तरह है, जिसमें होनेवाले पैसे खत्म नहीं होते। व्यंग्यकार इस संदर्भ में लिखते है, ''जादूगर छोटी टेबल पर रखी एक थैली को उलटाता है और रूपये थैली में से गिरने लगते है'' जादूगार कहता है, ''ये करप्शन की, भ्रष्टाचार की थैली है भाईसाहब इसका रूपया कभी खत्म नहीं होगा। थैलीपर नजर रखिये साहबान, इसका रूपया कभी खत्म नहीं होंगा..... करप्शन कभी खत्म नहीं होंगा थैली खाली नहीं होंगी। पिछले तेईस साल से यह जादू इस देश में हर जगह दिखा रहे है। हमें आशिर्वाद दिजीये देवियों और सज्जनों की हम आपकी खिदमत में पेश होते रहे, और ऐसे ही जादू दिखाकर मुल्क का नाम उँचा करे। जयहिंद।''[६२] इस प्रकार लोगों को नए–नए प्रलोभन दिखाकर फँसाया जाता है।

भ्रष्टाचार अंगूर की लता है, जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। सभी के मन में पाप जागृत करती है। इस संदर्भ व्यंग्यकार लिखते हे, '' इस देश का वैधानिक उपभोक्ता या स्वामी कोई नहीं है। यह तो अंगूरो की बेल है। सारे मुहल्लोवालों के मन में इसने पाप जगा रखा है। जो आता है गुच्छा तोडकर ले जाता है। कभी–कभी मुहल्ले के बाहरवाले भी हाथ मार जाते है।''[६३] इस प्रकार सभी लोग अपनी तरफ भ्रष्टाचार बढाने का कार्य करते है।

रिश्वत अफसर लोगों ने ली तो हमारा क्या होगा पार्टी का क्या होगा इसलिए अफसरों को रिश्वत लेने से रोक लिया एवं पार्टी के हित के लिए मंत्री महोदय न रिश्वत ले ली। पार्टी के लिए चंदे के नाम पर यह सब कुछ होता है।

संक्षेप में भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कोई भी अवसर क्यों न हो रिश्वत लेने का बहाना निकाल ही लिया जाता है। भ्रष्टाचार का साम्राज्य दूर–दूर तक फैला हुआ है। स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में वह ज्यादा बढ गया है। आज भारत के समस्त जन–जीवन को भ्रष्टाचार ने जकड लिया है और वह उसका रस चुसने लगा है। जिसमें राजनीति भी बहुत आगे निकल गयी है।

### ५.३.१०. राजनीतिक भाई–भतीजावाद

आज किसी भी पद के लिए योग्यता को एवं प्रतिभा को नहीं देखा जाता है, बल्कि भाई–भतीजावाद और रिश्तेदारी ही आज की योग्यता बन गई है। ''अन्धा बाँटे रेवडी, फिर फिर अपने ही को दे।'' इस कहावत के अनुसार सब कुछ अपने संगे संबंधियों को ही दिया जाता है। भाई–भतीजावाद भयंकर रूप से फैला है। यहाँ, वहाँ सब जगह, छोटी–छोटी बातों में भी सी.एम., पी.एम, एम.पी. एम.एल.ए., की एप्रोच और फुल चलती है। क्योंकि इसके द्वारा ही उनके सगे सम्बधियों का कल्याण हो रहा है, '' साहब ने कहा, कहाँ तबादला कर रहे है? फलाँ जगह सी.एम.का भांजा है, फलाँ जगह सी.एम. का साला है....कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ किसी का कोई न हो। ''[६४] इस प्रकार सभी स्थानोंपर अपने परिवार को स्थान देने की नेताओं में होड ही लगी है।

भाई–भतीजावाद तथा नेताओं, मंत्रियों के रिश्तेदारों की येन–केन प्रकारण – सरकारी नौकरीयां में नियुक्ति करने की योजना बनाई जाती है। एक बार नेताओं के रिश्तेदारों में बेकारी की समस्या बेहद बढ गई इससे नेता वर्ग संकट ग्रस्त हो गया। राहुरूपी भतीजे उन्हें घेरने लगे। नेताओं ने भाई–भतीजों को काम दिलाने के लिए अलग–अलग

प्रकार के हथकण्डे अपनाये। विदेशों की राजधानियों मे दिल्ली की परिवहन की शाखा खोल दी जाए और वहाँपर रिश्तेदारों को नौकरीयां दी जाए। इस योजना पर जब शंका उठाई तो देखा तो पहले से ही बसें बहुत कम है। इसपर व्यंग्यकार 'जननायक' कहते है, ''दिल्ली निवासियों को दिल्ली परिवहन की बसों मे चढने का बहुत शौक है क्या? जन नायक बोले, उन्हें कहो वे विदेशों की राजधानियों में जाकर दिल्ली परिवहन की बसों में चढ सकते है। या यदि उनमें धैर्य है तो जब बसे बाहर से आकर दिल्ली में प्रवेश करें तो वे भी दिल्ली के भीतर आने–जाने के लिए उनका सदूपयोग कर सकते है।''[६५] इस प्रकार सभी बाते अपने अनुकूल करने का प्रयास नेताओं द्वारा हुआ है।

भाई–भतीजावाद आज राजनीति में पनपा है। आज किसी भी पद के लिए योग्यता, प्रतिभा को नहीं देखा जाता। रिश्तेदारों को दिया जाता है, जिसमें ठेकेदारी, नौकरीयाँ, सुविधाए आदि भाई–भतिजो को मिल जाती है। नेताओं की इसी प्रवृत्ति पर व्यंग्यकार डॉ. नरेन्द्र कोहलीजी ने व्यंग्य किया है। अपने रिश्तेदारों को, जातीवालों को और चमचों को अच्छे–अच्छे पद देकर सुयोग्य पात्रों को निराश कर दिया जाता है।

एक नेता अपने सभी रिश्तेदारों को बिहार में आकर बसने का आवाहन करता है, '' हमारे भाई–भतीजे, मामा, मौसा, फुफा, साले, बहंनोई जो जहाँ भी हो बिहार में आकर बस जाये और रिश्तेदारी के सबुत समेत जीवन सुधारने की दरख्वास्त अभी से दे दे।''[६६] इस प्रकार राजनेताओं द्वारा अपने परिवारवालों के हित की ही चर्चा अधिक होती है।

अंतः स्पष्ट है कि, राजनीति में भाई–भतीजावाद पनपा है। आज योग्यता बन गई है। इसी कारण भाई–भतीजावाद को बढावा मिल रहा है। चुनाव में टिकट, दफ़्तरों में नौकरी, स्कूलों में प्रवेश, कोटा परमिट लाईसेंन्स, रिश्तेदारों को ही दिया जाता है। इससे जो योग्य है वे आगे नहीं आ पाते।

**निष्कर्ष :**

आज जीवन के हर क्षेत्र को राजनीति ने अपना लिया है। राजनीति जीवन में यत्र–तत्र सर्वत्र व्याप्त है। स्वातंत्र्यपूर्व काल में अंग्रेज सत्ताधीश थे। राजनीति के सूत्र अंग्रेजो के हाथ में थे। अंग्रेजी सत्ता के विरोध में देशवासियों में देशभक्ति की भावना निर्माण करने में व्यंग्य का साहित्य दुषित हो गया है। जिससे राजनेता तथा राजनिती दोनों कभी हास्यापद बन जाते है, तो कभी उनकी पोल खुलती है, अधिकातार राजनीतिक विसंगतियों का परिणाम जनसामान्य को भुगतना पडता है। इसलिए व्यंग्यसाहित्य में कलूषित राजनिती का विरोध करने के लिए डॉ. नरेन्द्र कोहलीजी के व्यंग्य का साहित्य में योगदान रहा है।

आज भारत एक प्रभुता, सम्पन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य है। चुनाव प्रक्रिया से लोग अपना नेता चुनते है। राजनीतिक दल अपने सिध्दांतो के अनुसार शासन चलाने के लिए प्रयत्नशील होते है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए विपक्ष दल का होना अत्यंत आवश्यक है। संसद के लिए विपक्ष दल देश के विकास की दिशा तय कर सकते है। मंत्रालय का मुख्य कार्यालय राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना है। सचिवालय का मुख्य कार्य सदन की कार्यवाही की सही–सही रिपोर्ट तैयार करना है। शासन व्यवस्था विधायक के अनुसार कार्य करते है। इस प्रकार भारतीय प्रजातंत्र के अन्तर्गत राजनीति के भिन्न–भिन्न अंग है।

भारतीय चुनाओं में विकृती का आरम्भ उम्मीदवारों के चयन से ही हो जाता है। यह विकृति सभी पार्टीयो में विद्यमान है। जातिवाद के नामपर उम्मीदवारो का चयन किया जाता है। आम चुनाव में प्रचार बहुत धूमधाम से किया जाता है। आज चुनाव एक खेल बन चुका है, सफल गुंडे आज देश के नेता एवं कर्णधार बनते जा रहे।

अनैतिकता से चुनकर आ जाते है उनसे चुनाव के पश्चात कुछ अपेक्षा करना भी व्यर्थ है। प्रजातंत्र आखिर एक तन्त्र ही है। उसमें भी कुछ गलत है। वर्तमान काल में प्रजातंन्त्र का सिर्फ मजाक उडाया जाता है। प्रजातंत्र गूँगे, बहरों की तरह चलता है। समाज के प्रश्न जैसे के वैसे है, जो सिर्फ प्रजातंत्र के नाम पर नेता लोग अपनी समस्या सुलझाने का कार्य करते है। चुनाव के समय प्रजातन्त्र में वादे किए जाते है, चुनाव के पश्चात किए

गये वादे नेता लोग भूल जाते है। सभी पार्टीया प्रजातन्त्र को सफल बनाने का ढोल पिटती है लेकिन ऐसा होने से प्रजातन्त्र कभी सफल नहीं हो सकता।

संसद भवन एवं विधानमण्डल जनतन्त्र का आधार स्तंभ होता है। यही से देश और राज्य शासन की बागडोर चलती है। संसद भवन एवं विधानमण्डल जनता की इच्छा आकांक्षाओं के प्रतिबिंब होते है। यहाँ देश और राज्य की समस्या का विचार विनिमय के माध्यम से हल निकाला जाता है। परंतु वास्तव में यह होता है कि, अधिकांश सदस्य सोते रहते है। यहाँ जो बहस होती है, निरर्थक होती है। मन में आया वही बोलते रहते है। इस भवन में कई–बार गाली–गलौज होती है, जूते–चप्पलों का आदान–प्रदान होता रहता है। यह स्थिति प्रजातन्त्र के खोखलेपण का प्रमाण है।

सत्ताधारी पार्टीया सत्ता में आते ही अपना असली रूप दिखाने लगती है। चुनाव के समय किए वादों कों बाद  में  भूल जाते है। सत्ता के आते ही अपनी–अपनी स्वार्थसिध्दि को पूरा किया जाता है। सत्ता में आने के पश्चात् भ्रष्टाचार की अंधेर गर्दी की धाँधली की और स्वार्थ लोलूपता की भावना बढ जाती है। इस प्रकार व्याप्त विसंगति, विकृति पर व्यंग्य के माध्यम से डॉ. नरेन्द्र कोहली ने सत्ताधारी पार्टीयो पर व्यंग्य किया है।

प्रजातंत्र की सफलता का सामर्थ्य विपक्षी दल में होता है। यदि विपक्षी दल न हो तो प्रजातन्त्र में सत्ताधारी दल तानाशाह बन जाता है। लेकिन आज देश के हित का विरोध करनेवाले विपक्ष दल के राजनीतिक लोग भी दिखायी देते है। उनके कार्य व्यापार की पध्दति कथनी और करनी की विसंगति, और जबान के ढीलेपन को लेकर व्यंग्यकार ने विपक्ष दल का पर्दाफाश किया है।

आज के नेता और राजनीतिक कार्यकर्ता जनता की नजरों में आदर, स्नेह और आस्था के पात्र नहीं रह गये है। नेता भ्रष्टाचार, व्यभिचार, एवं कुकृत्य में लिप्त है वे अपनी मनमानी करते रहते है। विडम्बना यह है कि, देश के रक्षक ही भक्षक बन गए है। उसका स्वरूप विकृत हो गया है। नेता का आचरण भ्रष्ट हो गया है। वह स्वार्थान्ध और लोलची हो गए है। जनता की पीडा को नहीं देख पाते। व्यंग्यकारने नेता के कथनी और करनी के वैषम्य पर कसकर व्यंग्य किया है।

मंत्री प्रजातंत्र में महत्वपूर्ण होता है। जो चुनाव के पश्चात सत्ताधारी पार्टी में रहकर संसद एवं विधान भवन में बैठकर लोगों के प्रश्न, समस्या सुलझा सकते है, लेकिन परिस्थिति की गम्भीरता न समझकर वे भाषणबाजी में कार्यरत रहते है। मंत्री राजनीति में भी व्यापार करते है। सौदेबाजी करते है। बिना रिश्वत लिए काम नहीं करते मंत्री की इस कथनी करनी की विसंगतपूर्ण कार्य प्रणाली पर व्यंग्यकारने व्यंग्य किया है।

राजनीति में दलबदल न तो सिध्दांतो के आधार पर किया जाता है और न ही नीति के आधार पर। दल–बदल अवसरवादिता के आधारपर किया जाता है। यह एक संक्रामक रोग की भाँति फैल रहा है, प्रजातन्त्रवाद के लिए यह सबसे बडा खतरा बन गया है। इस दलबदल पर व्यंग्यकारने कसकर व्यंग्य आघात किए है।

आज राजनीतिक में भ्रष्टाचार का बोलबाला इतना अधिक बढ गया है कि, आज हर एक व्यक्ति सोचता है कि बिना शिफारिश या रिश्वत बिना काम हो ही नहीं सकता। हर कार्य में भ्रष्टाचार व्याप्त है, प्रभावशाली स्थल पर नियुक्ति भ्रष्टाचार के बिना संभव नहीं है। प्रतिभा एवं गुणों का विचार न करते हुए रिश्वत के आधार पर नियुक्ति मिल जाती है। व्यंगकारने भ्रष्टाचार पर अधिक मात्रा में व्यंग्य किया है जो सोचने के लिए मजबूर कर देता है।

राजनीतिक में भाई–भतीजावाद अधिक पनपा है। आज किसी भी पद के लिए योग्यता, प्रतिभा को नहीं देखा जाता, रिश्तेदारी ही आज कि योग्यता बन गई है। इसी कारण भाई–भतीजावाद को बढावा मिल रहा है। चुनाव में टिकट, दफ्तरों में नौकर, स्कूल में प्रवेश, लाईसेन्स सब रिश्तेदारों को ही दिये जाते है। भाई–भतीजावाद को व्यंग्यकार ने अपने तिखे बाणों से निशाना बनाया है।

राजनीतिक दाँव–पेच चुनाव के समय से आरंभ हो जाते है, वोट की खरीदारी, जातिधर्म के नाम पर वोटो की मांग, चुनाव प्रचार के समय अलग–अलग बहाने बनाना आदि राजनीतिक दाँव–पेच का प्रयोग राजनीति में किया जाता है। इस दाँव–पेच का व्यंगकार डॉ. नरेन्द्र कोहलीजी ने पर्दाफाश किया है।

## संदर्भ ग्रंथ


१. कोहली नरेन्द्र – हमरा को वोट दो, पृ.२०८

२. शास्त्री शिवप्रसाद भारद्वाज – मानक हिन्दी शब्दकोश,२००३ पृ.सं. ८५८

३. बॅनर्जी पी.एन. – हिन्दु पालिटी – पृ. सं. ३३६

४. सॅम्युअल इ. फाईनर, – कम्प्यारीटिव्ह गर्व्हरमेन्ट – पृ. सं. ०७

५. वर्नोन वान डायन पृ. सं. ३४

६. Political Science : A Philosophical Analysis Stanford : Standard University Press1962, Page No. 134

७. कोहली नरेन्द्र – देश के शुभचिंतक, पृ.२८७

८. त्यागी रविन्द्रनाथ – शोकसभा ,पृ. सं. ५१

९. परसाई हरिशंकर – निठल्ले की डायरी(भेडे और भेडियें), पृ. १३९–४६

१०. कोहली नरेन्द्र – मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएँ, पृ.सं. ३०१

११. जोशी शरद – 'जीप पर सवारी' इल्लियाँ, पृ.सं. १६३–१७४

१२. कोहली नरेन्द्र – मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएँ, पृ.सं. ३१४

१३. कोहली नरेन्द्र – मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएँ, पृ.सं. २१६

१४. पुणतांबेकर शकंर – विजीट यमराज की, पृ. १७६–१८१

१५. कोहली नरेन्द्र – मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएँ, पृ.सं. २४

१६. त्यागी रविन्द्रनाथ – अतिथी कक्ष, पृ. सं. ५१

१७. चतुर्वेदी बरसानेलाल – टालु मिक्सर, पृ. सं. १५

१८. पुणतांबेकर शकंर – कैक्टस के काँटे, पृ. ६०

१९. कोहली नरेन्द्र – देश के शुभचिंतक, पृ.१२७

२०. जोशी शरद – मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएँ, पृ.सं. १९०

२१. कोहली नरेन्द्र – आधुनिक लडकी की पीडा, पृ.सं. ७२–७३

२२. नगर अमृतलाल – कृपया दायें चलिये, पृ. २७

२३. परसाई हरिशंकर – सदाचार का तावीज, पृ.सं. १२०

२४. परसाई हरिशंकर – ठिठुरता हुआ गणतंत्र, पृ.सं. २९

२५. कोहली नरेन्द्र – आधुनिक लडकी की पीडा, पृ.सं. ३८७

२६. कोहली नरेन्द्र – देश के शुभचिंतक, पृ.६९

२७. जोशी शरद 'जीप पर सवारी' इल्लियाँ, पृ.सं. २९

२८. कोहली नरेन्द्र – देश के शुभचिंतक, पृ.२००

२९. कोहली नरेन्द्र – देश के शुभचिंतक, पृ.१०३

३०. कोहली नरेन्द्र – आधुनिक लडकी की पीडा, पृ.सं. १४३

३१. त्यागी रविन्द्रनाथ – देवदार का पेड, 'अफसरशाही और उसके वाद' पृ.४३

३२. मजीठिया सुदर्शन – मुख्यमंत्री का डण्डा, पृ. ८४ से ९५

३३. तिवारी बालेन्दुशेखर – व्यंग्य ही व्यंग्य, पृ. ०७

३४. कोहली नरेन्द्र – मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएँ, पृ.सं. १३२

३५. कोहली नरेन्द्र – देश के शुभचिंतक, पृ.३००

३६. कोहली नरेन्द्र – देश के शुभचिंतक, पृ.३३५

३७. कोहली नरेन्द्र – देश के शुभचिंतक, पृ.२०१

३८. कोहली नरेन्द्र – आधुनिक लडकी की पीडा, पृ.सं. ३९

३९. श्रीवास्तव सुबोधकुमार – शहर क्यों बंद है? पृ. १६

४०. परसाई हरिशंकर – पगडण्डियों का जमाना, पृ. २४

४१. परसाई हरिशंकर – निठल्ले की डायरी, पृ. ५४–५५

४२. परसाई हरिशंकर – पगडण्डियों का जमाना, पृ. ३०

४३. कोहली नरेन्द्र – त्राहि– त्राहि, पृ. २१५

४४. परसाई हरिशंकर – और अंत में, पृ.सं. ३७

४५. कोहली नरेन्द्र – त्राहि– त्राहि, पृ. २१५

४६. कोहली नरेन्द्र – आयोग समग्र व्यंग्य – ५ पृ. १२७

४७. कोहली नरेन्द्र – आयोग समग्र व्यंग्य – ५ पृ. २०७

४८. कोहली नरेन्द्र – आयोग समग्र व्यंग्य – ५ पृ. २०३

४९. सुरीरवाला रोशनलाला – पत्नी शरणम् गच्छामि, पृ. १८४

५०. उधृत हाथरसी काका – श्रेष्ठ हास्य के व्यंग्य निबन्ध, पृ.सं. २०

५१. कोहली नरेन्द्र – एक और लाल तिकोण, पृ.सं. २४५

५२. परसाई हरिशंकर – वैष्णव की फिसलन १९७६, पृ. सं. १८५

५३. राय अमृत – बतरस, पृ.सं. १०७

५४. जोशी शरद – 'जीप पर सवारी' इल्लियाँ, पृ.सं. ७४

५५. कोहली नरेन्द्र – एक और लाल तिकोण, पृ.सं. २५

५६. ठाकुर श्रीराम – मेरी प्रतिनिधी व्यंग्य रचनायें, पृ.सं. १२

५७. बैजल श्याम – टालु मिक्सर, पृ.सं. २८

५८. परसाई हरिशंकर – अपनी बीमारी जिसकी छोड भागी है, पृ. ५२

५९. कोहली नरेन्द्र – देश के शुभचिंतक, पृ.२८८

६०. परसाई हरिशंकर – सदाचार का ताविज, पृ.सं. २

६१. कोहली नरेन्द्र – एक और लाल तिकोण, पृ.सं. १८

६२. परसाई हरिशंकर – पगडण्डियो का जमाना, हम वे और भीड, पृ.सं. ३०

६३. जोशी शरद – 'जीप पर सवारी' इल्लियाँ, सरकार का जादू, पृ.सं. १५१

६४. कोहली नरेन्द्र – जगाने का अपराध, अंगुर की बेल, पृ.सं. ९७

६५. परसाई हरिशंकर – मिठल्ले की डायरी, शिवशंकर का केस, पृ. १३४

६६. परसाई हरिशंकर – ठिठुरता हुआ गणतंत्र, पृ.सं. ३८